न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : बालकृष्ण तिवारी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 16 / 20

कौशल्या बाई पुत्री गोपाल प्रसाद (माता गुलाब बाई) पौत्री रामनारायण, निवासिनी सकतपुरा, खटीकों के मन्दिर के पास, खेमराज योगी के मकान में, सकतपुरा, कोटा

(वादिनी)

बनाम

1. जितेन्द्र कुमार आत्मज स्व. रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द नाथ
2. नरेन्द्र कुमार आत्मज स्व. रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द नाथ
3. श्रीमति रेखारानी पुत्री रविन्द्र कुमार पत्नि टीकमचन्द योगी
4. श्रीमति तारारानी पुत्री रविन्द्र कुमार पत्नि ओम प्रकाश योगी
5. श्रीमति अनिता पुत्र स्व. रविन्द्र कुमार पत्नि संजय योगी
6. श्रीमति रामदयाल बाई पत्नि स्व. रविन्द्र कुमार
7. खेमराज (मृतक) जर्ये कायम मुकामान

7/1. श्रीमति कैलाश बाई पत्नि स्व खेमराज नाथ
7/2. श्रीमति हेमलता पुत्री स्व खेमराज नाथ पत्नि राजेन्द्र योगी
7/3. श्रीमति दुर्गेश पुत्री स्व खेमराज नाथ पत्नि बाबू लाल
8. जगन्नाथ (मृतक) जर्ये कायम मुकामान
8/1. ओम प्रकाश पुत्र स्व. जगन्नाथ
8/2. हेमराज योगी पुत्र स्व. जगन्नाथ
8/3. श्रीमति पार्वती बाई पुत्री स्व. जगन्नाथ पत्नि हीरा लाल योगी
8/4. श्रीमति शान्ति बाई पत्नि स्व. जगन्नाथ
9. मोहन लाल पुत्र स्व. रामनारायण
10. लाली बाई (मृतक) कायम मुकामान
10/1. कैसर बाई पुत्री लाली बाई पत्नि स्व. पन्ना लाल
10/2. लोकेश पुत्र स्व. रामनारायण पौत्र लाली बाई पत्नि स्व. पन्नालाल
10/3. राधेश्याम पुत्र स्व. रामनारायण पौत्र लाली बाई पत्नि स्व. पन्नालाल
10/4. मुकेश बाई पुत्री स्व. रामनारायण पौत्री लाली बाई पत्नि स्व. पन्नालाल
10/5. भूली बाई पुत्री स्व. रामनारायण पौत्र लाली बाई
10/6. रुकमणी बाई पुत्री स्व. रामनारायण पौत्री लाली बाई पत्नि स्व. पन्नालाल
10/7. भंवरी बाई पुत्री स्व. रामनारायण पौत्री लाली बाई
10/8. सुनीता बाई पुत्री स्व. रामनारायण पौत्री लाली बाई
10/9. कंवरी बाई बेवा स्व. रामनारायण पुत्र वधु स्व. लाली बाई
11. नवल सोपनीवाल पुत्र गिरिराज तोपनीवाल
12. गणपत लाल पुत्र पन्नालाल
13. नाथी बाई पत्नी पन्नालाल
14. हरदेव पुत्र छीतर जी
15. श्रवणी बाई (मृतक) जर्ये कायम मुकामान
15/1. घीसाराम पुत्र स्व हरदेव
15/2. सुखलाल पुत्र स्व. हरदेव
16. स्टेट ऑफ राजस्थान

(प्रतिवादीगण)

<u>कंसोलिडेट वाद</u> – *प्रकरण संख्या 199/06, राजस्थान जितेन्द्र कुमार बनाम खेमराज*

1. जितेन्द्र कुमार आत्मज स्व. रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द नाथ
2. नरेन्द्र कुमार आत्मज स्व. रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द
   जाति नाथ, निवासीगण न्यू त्रिपाठी भवन, कुम्हारों का मोहल्ला, छावनी, कोटा
3. श्रीमती रेखा रानी पुत्री स्व. रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द्र पत्नि टीकमचन्द योगी, जाति नाथ, निवासिनी ग्राम मण्डला, तहसील अटरू, जिला बारां
4. श्रीमती तारा रानी पुत्री स्व. रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द्र पत्नि ओम प्रकाश योगी, जाति नाथ, निवासिनी ग्राम बडोदिया, तहसील किशनगंज, जिला बारां
5. श्रीमति अनिता पुत्र स्व. रविन्द्र कुमार पत्नि संजय योगी, जाति नाथ, निवासिनी ग्राम बजारा कोलोनी, केशवपुरा चौराहा, कोटा
6. श्रीमति रामदयाल बाई पत्नि स्व. रविन्द्र कुमार, जाति नाथ, निवासिनी न्यू त्रिपाठी भवन, कुम्हारों का मोहल्ला, छावनी, कोटा

बनाम

1. स्व. खेमराज उर्फ किशनलाल आत्मज स्व. रामनारायण (मृतक जर्ये कायम मुकाम) –

1/1. श्रीमति कैलाश बाई पत्नि स्व खेमराज नाथ

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

16/20 Kaushalya Bai Jitendra
& Consolidate Jitendra Khemraj

1/2. श्रीमति हेमलता पुत्री स्व. खेमराज नाथ पत्नि राजेन्द्र योगी

1/3. श्रीमति दुर्गेश पुत्री स्व खेमराज नाथ पत्नि बाबू लाल
जाति नाथ, निवासीगण केसरीसिंह धर्मशाला के पास, कुम्हारों का मोहल्ला, छावनी, कोटा

2. स्व. जगन्नाथ आत्मज स्व. रामनारायण (मृतक जरिये कायम मुकाम) –

2/1. ओम प्रकाश पुत्र स्व. जगन्नाथ

2/2. हेमराज योगी पुत्र स्व. जगन्नाथ
जाति नाथ, निवासीगण मोती महाराज मन्दिर के पास, छावनी, कोटा

2/3. श्रीमति पार्वती बाई पुत्री स्व. जगन्नाथ पत्नि हीरा लाल योगी, जाति नाथ, निवासिनी ग्राम गादेगाल वाया तालेड़ा, जिला बून्दी

2/4. श्रीमति शान्ति बाई पत्नि स्व. जगन्नाथ, जाति नाथ, निवासिनी मोती महाराज मन्दिर के पास, छावनी, कोटा

3. मोहन लाल पुत्र स्व. रामनारायण, जाति नाथ, निवासी मोती महाराज मन्दिर के पास, छावनी, कोटा

4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

5. कौशल्या बाई पुत्री गोपाल प्रसाद, जाति नाथ, निवासी खटीको के मन्दिर के पास, सकतपुरा, कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 92(ए), 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक : 27.07.2021

उपस्थिति : श्री शंभूदयाल विजय, अभिभाषक वादिनी
श्री संजय शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 ता 8
श्री भगवती वल्लभ शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 15/2

निर्णय

1- वादिनी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53, 92(ए), 188 बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा एक वाद पेश किया गया।

2- वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र में निवेदन किया गया कि –

- वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 के संयुक्त खातें की पुश्तैनी आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 22 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 70/300 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 39 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। सेटलमेन्ट के बाद उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 21 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 22 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 29 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 6.50 हैक्टर कायम किये गये है।
- उपरोक्त आराजी पुश्तैनी आराजी है और जो वादिनी के दादा रामनारायण जी मृत्यु के बाद नामान्तरण संख्या 76 दिनांक 18.03.1970 के द्वारा उनकी मृत्यु उपरांत उनके पुत्र क्रमशः माधोलाल, खेमराज, जगन्नाथ, मोहनलाल, व गोपाल प्रसाद को प्राप्त हुई क्योंकि गोपाल प्रसाद की रामनारायण जी की मौजूदगी में ही मृत्यु हो चुकी थी और उसकी बेवा गुलाब बाई व पुत्री कौशल्या बाई वादिनी मौजूद थी जिसका नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार वादिनी रामनारायण जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोपाल प्रसाद की वारिस होने के नाते नाम दर्ज रिकोर्ड हो चुका था। उस समय वादिनी नाबालिग थी और जरिये वली माता गुलाबबाई उक्त नामान्तरण सं0 76 दिनांक 18.03.1970 से इसी अनुसार दर्ज हुई।
- उक्त पुश्तैनी आराजी मे गोपाल प्रसाद के वारिसान गुलाब बाई बेवा एवं पुत्री कौशल्या का उनके स्थान पर 1/5 हिस्सा निहित है क्योंकि उक्त आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित आराजी है जिसका आज तक विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ और वादिनी ने कई बार प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 से निवेदन बंटवारे हेतु किया किंतु प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 ने हमेशा बंटवारे हेतु टालमटोल की इसलिए बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर वादिनी का 1/5 हिस्सा पृथक खाते में दर्ज कर पृथक पृथक बंटवारा करवाकर रेवन्यू रिकार्ड मे दुरूस्ती करवाकर पृथक लगान राज करवाना आवश्यक हो गया है।

- उक्त आराजी में से बिना विधिवत् बंटवारे के स्पेसिफिक खसरा नम्बर का विक्रय नही किया जा सकता है और इस प्रकार का किया गया विक्रय कानूनन प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है, किंतु इस कानूनी पहलू को जानते हुये भी सहखातेदार जगन्नाथ ने आराजी खसरा नम्बर 24 की 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि का दिनांक 28.11.1967 को चुपचाप विक्रय कर दिया जिसे करने का कोई कानूनी अधिकार नही था। जब तक कि वादिनी का 1/5 हिस्सा पृथक खाते दर्ज कर बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक इंच भूमि पर सभी सहभागीदारान का संयुक्त रूप से कब्जा माना गया है और स्पेसिफिक खसरा नम्बर का विक्रय नही किया जा सकता। इसलिये उक्त बेचान व उसके आधार पर खोले गये नामान्तरण प्रभावशून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है, और उक्त भूमि वापस संयुक्त खाते में दर्ज किये जाने योग्य है।
- इसी प्रकार सहखातेदार से खेमराज उर्फ किशनलाल ने भी उक्त शामलात खाते की भूमि मे से आराजी ख0 नं0 28 की 22 बीघा मे से 11 बीघा भूमि पश्चिम दिशा की बिना विधिक बंटवारे के दिनांक 26.11.1969 को विक्रय कर दी, जो प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। और चूंकि प्रथम विक्रय ही प्रभावशून्य है उसके बाद विक्रय दर विक्रय जो भी किये गये है, वह भी प्रभावशून्य है और उनके आधार पर खुले नामान्तरण भी प्रभावशून्य है। और भूमि वापस संयुक्त खाते में दर्ज कर पूर्व खाते अनुसार नियमानुसार बंटवारा किया जाना आवश्यक है।
- सहखातेदार मोहन लाल ने भी आराजी ख0 नं0 28 की 22 बीघा मे से 11 बीघा भूमि पूर्व दिशा की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1972 को अन्य सहभागीदारान की सहमति के बिना विक्रय कर दी है, जो कि स्पेसिफिक खसरा नम्बर का विक्रय बिना अन्य सहभागीदारों की सहमति के नहीं किया जा सकता, इसलिये उक्त विक्रय भी प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है, और उसके आधार पर खोले गये नामान्तरण भी प्रभावशून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है, और भूमि वापस संयुक्त खाते में दर्ज कर पूर्व खाते अनुसार विधिवत् 1/5, 1/5 हिस्से का बंटवारा वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 के मध्य किया जाना आवश्यक है।
- शामलाती खाते में बिना विधिक बंटवारे के सहखातेदारान जगन्नाथ, मोहनलाल, खेमराज उर्फ किशन लाल को भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था, किंतु उपरोक्त तीनो सहखातेदारान ने बिना विधिक बंटवारे के अपने हिस्से से अधिक स्पेसिफिक खसरा नम्बरान की भूमि का विक्रय कर दिया जो करने का कानूनन उन्हे कोई अधिकार नही था और उपरोक्त बेचान कानूनन प्रारंभ से ही प्रभावशून्य होने से खारिज किये जाने योग्य है। और उपरोक्त आराजी का विभाजन विधिवत सभी सहखातेदारान क्रमशः मोहनलाल, माधोलाल, खेमराज, जगन्नाथ, व गोपाल प्रसाद मृतक के वारिसान के 1/5, 1/5 पृथक – पृथक बंटवारा करके दर्ज किये जाने योग्य है। किन्तु माधो लाल के वारिसान उक्त बंटवारे के लिये तैयार नही है, एव सहखातेदार जगन्नाथ, मोहन लाल व खेमराज उक्त आराजी मे से 11–11 बीघा भूमि का विक्रय बिना बंटवारे के स्पेसिफिक खसरा नम्बर का कर कर चुके है, जिसका करने का उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिये भी वह उक्त बंटवारे को निरन्तर टालमटोल कर रहे है, और आराजी खसरा नम्बर 90 की 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 88 की 0.12 हैक्टर, जो वादिनी के कब्जे काश्त में है, को भी बाला बाला दलालों से मिलकर विक्रय करने पर आमादा है, जबकि पूर्व रकबे 39 बीघा 8 बिस्वा से बनाये गये नये खसरा नम्बर की 6.50 हैक्टर में से 1/5 हिस्सा 1.30 हैक्टर वादिनी का बनता है, जो उपरोक्त अनाधिकृत, अवैधानिक बेचान निरस्त करवाते हुये सम्पूर्ण भूमि पूर्ववत यथावत वापस संयुक्त खाते मे दर्ज करवा कर अपना हिस्सा 1/5 पृथक करवा कर प्राप्त करने की वादिनी अधिकारणी है।
- प्रतिवादी क्रम 10 लगायत 16 उपरोक्त संयुक्त खाते की आराजी मे से बनाए गये नये खसरा नम्बर 29, 21, 22 में वर्तमान मे रिकॉर्ड मे नाम दर्ज होने के आधार पर पक्षकार बनाये गये है। यह कि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 से कई बार वादिनी ने अपने हिस्से की आराजी को पृथक कर विधिवत् बंटवारा कर अलग खाते दर्ज कराने के लिए निवेदन किया, लेकिन वह सदैव टालमटूल करते रहे और प्रतिवादीगण की नीयत में बदनियत आ गई है। और वह बालाबाला वादिनी के 1/5 हिस्से को विक्रय व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, और ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण के उक्त अवैधानिक कृत्य को रोकने हेतु वादिनी को वाद लाना आवश्यक हो गया है।
- वादिनी रामनारायण जी की पौत्री एवं उनके पुत्र गोपाल प्रसाद की आयन्दा पुत्री है जिसका नाम नामान्तरण संख्या 76 में दर्ज है, और संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी

वारिस होने से अपने पिता गोपाल प्रसाद एवं माता गुलाब बाई की मृत्यु उपरांत उनके 1/5 हिस्से की हकदार है और जिसे रिकॉर्ड में दुरुस्ती व अमल दरामद करवा व अपने पृथक खाते दर्ज कराने की अधिकारी है।

- गोपाल प्रसाद के स्वर्गवास के समय वादिनी नाबालिग थी इसलिए प्रतिवादीगण ने गलत तरीके से राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके वादिनी का नाम खाते से हटवा दिया जबकि गोपाल प्रसाद की मृत्यु उपरांत इनके 1/5 हिस्से की आराजी उनकी पत्नी गुलाब बाई व उनकी पुत्री वादिनी कौशल्या बाई हकदार थी किंतु नामान्तरण में गुलाब बाई व कौशल्या बाई दोनों का नाम दर्ज होने के बावजूद भी गुलाब बाई का नाम ही दर्ज रिकॉर्ड मिलीभगत करके रहने दिया और गुलाबबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है। और गोपाल प्रसाद जी के हस्से कि 1/5 आराजी एकमात्र वारिस एवं उनकी पुत्री होने के नाते उनके हिस्से की आराजी वादिनी अपने खाते दर्ज करवाने एवं रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ गई है और अब वह वादिनी की माता गुलाब बाई का नाम भी खातेदारी से हटाकर आराजी व उसके भाग को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। और इसी हेतु लोगों को भूमि पर लाकर भूमि दिखाते हुये बेचान की बात कर रहे हैं। जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दिनांक 03.01.2007 को प्रतिवादीगण कुछ लोगों को लेकर भूमि पर आये और बेचान की बात की तथा वादिनी ने जब उनसे कहा कि उक्त भूमि के रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाकर गुलाब बाई के स्थान पर उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर इन्द्राज दुरुस्ती व बंटवारा करवा जावे तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इंकार हो गये तथा कहने लगे कि वे तो न तो दुरुस्ती करायेंगे न ही बंटवारा करायेंगे तथा उक्त भूमि को शीघ्र ही बेचान कर देंगे और ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य को रोकने हेतु भी वादिनी को यह वाद लाना आवश्यक हो गया है।
- प्रस्तुत वाद में स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है, जिसके विरुद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस मियादी 2 माह का प्रेषित किया जाना आवश्यक है किंतु वाद अरजेन्ट नेचर का होने से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है इस हेतु धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है।
- प्रस्तुत वाद का वाद कारण वादिनी के दादा रामनारायण खाते की आराजी जिसमें वादिनी का 1/5 निहित है, का बिना विधिक बंटवारे के सहखातेदार खेमराज, जगन्नाथ व मोहनलाल ने स्पेसिफिक खसरा नम्बर की 11–11 बीघा जमीन चुपचाप विक्रय कर दी, जो प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 16 के वर्तमान में खाते दर्ज है, और जो प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। किंतु आराजी खसरा नम्बर 90 की 0.84 हैक्टर व खसरा नम्बर 88 की 0.12 हैक्टर, जो वादिनी के कब्जे काश्त में चली आ रही है, को भी चुपचाप विक्रय करने पर आमादा है। और रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाने व विधिवत् बंटवारा कराने से स्पष्ट इंकार कर दिया और उक्त आराजी को खुर्द बुर्द कराने की धमकी दिनांक 03.01.2007 को वादिनी को दी, जिस पर वादिनी को वाद कारण उत्पन्न हुआ।
- उक्त विवादित आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत वाद को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह कि वाद उक्त न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।
- अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि वाद पत्र में वर्णित संयुक्त खाते की 39 बीघा 8 बिस्वा पुश्तैनी आराजी वाके ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिसके नये खसरा नम्बर 21, 22, 29, 90, 88 रकबा 6.50 हैक्टर कायम किये गये है, मे से खसरा नम्बर 29, 21, 22 जो प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 16 के नाम अवैध रूप से खाते दर्ज कर दिये गये है, को प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 16 के खाते से हटाया जाकर सम्पूर्ण 6.50 हैक्टर आराजी का वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 को संयुक्त खातेदार घोषित करते हुये वादिनी को 1/5 हिस्से की खातेदार घोषित किया जावे व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। उक्त पुश्तैनी आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी के 1/5 हिस्से को वादिनी के पृथक खाते दर्ज की जावे जिसमें वादिनी के कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 90 व खसरा नम्बर 88 की 0.96 हैक्टर दर्ज करते हुये शेष 0.34 हैक्टर रकबा अन्य खसरा नम्बरान मे से दिलावे। पृथक लगान राशि कायम करते हुये पृथक–पृथक काबिज कराया जावे तथा मौके पर इसी अनुसार पत्थरगढ़ी करायी जावे तथा रिकॉर्ड में इसी अनुरूप दुरुस्ती व अमल बरामद किया जावे।

- वादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नानुसार दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श– 1 : नकल जमाबन्दी संवत 2061–2064 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा
प्रदर्श– 2 : नकल जमाबन्दी ग्राम बोरखण्डी संवत 2053–2056
प्रदर्श– 3 : नकल नामान्तकरण ग्राम बोरखण्डी नामान्तकरण संख्या 80
प्रदर्श– 4 : नकल जमाबन्दी ग्राम बोरखण्डी संवत 2053–2056
प्रदर्श– 5 : नकल जमाबन्दी ग्राम बोरखण्डी संवत 2053–2056
प्रदर्श– 6 : नकल नामान्तकरण ग्राम बोरखण्डी नामान्तकरण संख्या 75
प्रदर्श– 7 : नकल जमाबन्दी ग्राम बोरखण्डी संवत 2053–2056
प्रदर्श– 8 : नकल नामान्तकरण ग्राम बोरखण्डी नामान्तकरण संख्या 59
प्रदर्श– 9 : नकल जमाबन्दी संवत 2035–2038 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा
प्रदर्श–10 : नकल मिलान खेतकल संवत 2036–2057, ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा
प्रदर्श–11 : नकल जमाबन्दी संवत 2016–2024 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा
प्रदर्श–12 : नकल नामान्तकरण ग्राम बोरखण्डी नामान्तकरण संख्या 40
प्रदर्श–13 : नकल नामान्तकरण ग्राम बोरखण्डी नामान्तकरण संख्या 41
प्रदर्श–14 : नकल नामान्तकरण ग्राम बोरखण्डी नामान्तकरण संख्या 26
प्रदर्श–15 : नकल नामान्तकरण ग्राम बोरखण्डी नामान्तकरण संख्या 76
प्रदर्श–16 : नकल जमाबन्दी संवत 2016–2024 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा

3- (a) प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

- वादिनी पूर्व खातेदार श्री राम नारायण जी की पौत्री नहीं है। गोपाल प्रसाद वादिनी के पिता नहीं थे। राम नारायण जी के पुत्र माधवलाल, खेमराज, जगन्नाथ, मोहनलाल व गोपाल प्रसाद होना स्वीकार नहीं है। वादिनी गोपाल प्रसाद की पुत्री एवं वारिस होना स्वीकार नहीं है। गोपाल प्रसाद की वारिस उसकी पत्नी श्रीमती गुलाब बाई थी जिसका स्वर्गवास हो चुका है। नामान्तकरण संख्या 76 अवैध रूप से तस्दीक किया गया था। कौशल्या गोपाल प्रसाद की पुत्री नहीं है। वादिनी का उपरोक्त भूमि में 1/5 हिस्सा होना स्वीकार नहीं है।
- जगन्नाथ सहखातेदार द्वारा शामलाती खाते की भूमि में से किया गया बेचान प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य होना स्वीकार है। जगन्नाथ सहखातेदार द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान अवैध रूप से किया गया है तथा स्पेसिफिक खसरा नम्बर की भूमि का कानूनन विक्रय नहीं किया जा सकता। उक्त बेचान का विक्रय पत्र एवं नामान्तरकरण प्रभाव शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य होना स्वीकार है। उक्त बेचान हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध अवैध एवं प्रभावशून्य है। वादिनी द्वारा कब्जा वापस प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है। वादिनी के तथाकथित हक हकूक समाप्त हो चुके है। वादिनी का उपरोक्त भूमि में कोई हक अधिकार विद्यमान नहीं है।
- सहखातेदार खेमराज उर्फ किशनलाल द्वारा शामलाती खाते की भूमि में से खसरा नम्बर 28 की 22 बीघा भूमि में से 11 बीघा भूमि पश्चिम दिशा का किया गया बेचान प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य होना स्वीकार है। सहखातेदार खेमराज द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान अवैध रूप से किया गया है तथा स्पेसिफिक खसरा नम्बर की भूमि का कानूनन विक्रय नहीं किया जा सकता है। उक्त बेचान प्रतिवादीगण के विरूद्ध अवैध एवं प्रभावहीन है। वादिनी द्वारा कब्जा वापस प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है। वादिनी का भूमि में कोई हक एवं अधिकार विद्यमान नहीं है।
- सहखातेदार मोहनलाल द्वारा आराजी खसरा नम्बर 28 की 22 बीघा में से 11 बीघा भूमि पूर्व दिशा की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1972 को शामलाती खाते की भूमि से किया गया बेचान प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होना स्वीकार है। सहखातेदार मोहनलाल द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का अवैध रूप से बेचान किया गया है तथा स्पेसिफिक खसरा नम्बर की भूमि का कानूनन विक्रय नहीं किया जा सकता है। उक्त विक्रय पत्र एवं नामान्तरण प्रभावशून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य होना स्वीकार है।
- शामलाती खाते में बिना विधिक बंटवारे के सह खातेदारान जगन्नाथ, मोहन लाल, खेमराज उर्फ किशनलाल को भूमि का बंटवारा कराये बिना स्पेसिफिक खसरा नम्बर एवं अपने हिस्से से ज्यादा भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं होना तथा उक्त बेचान प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य होना स्वीकार है। वादिनी गोपाल प्रसाद मृतक की पुत्री एवं वारिस नहीं है।
- राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रतिवादीगण नम्बर 10 लगायत 16 के नाम का किया

गया इन्द्राज सर्वथा अवैध एवं प्रभावशून्य है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के हितो के विरुद्ध प्रभावहीन है।

- प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का उपरोक्त भूमि को हस्तान्तरित करने का कोई इरादा नहीं है। इस संबंध में वादिनी की आशंका सर्वथा निराधार एवं असत्य है। प्रतिवादीगण नं 1 लगायत 6 का उपरोक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने का कोई इरादा नहीं है।
- गोपाल प्रसाद की एकमात्र उत्तराधिकारी उनकी पत्नी श्रीमती गुलाब बाई थी जिनका स्वर्गवास हो चुका है। वादिनी श्रीमती गुलाबबाई की उत्तराधिकारी नहीं है। गोपाल प्रसाद के स्वर्गवास के बाद श्रीमती गुलाब बाई का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज हुआ था। वादिनी हक घोषणा खातेदारी करवाने की तदनुसार दुरुस्ती इंद्राज एवं उपरोक्त भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारिणी नहीं है। वादिनी को प्रस्तुत वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है।
- वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद अर्जेन्ट नेचर का नहीं है। स्टेट ऑफ राजस्थान को धारा 80 व्यवहार विधी संहिता के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिश देना आवश्यक है। धारा 80(2) व्यवहार विधी संहिता के अंतर्गत वादिनी बिना नोटिश दिये प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। वादिनी को दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ।
- वादिनी की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियों में निवेदन किया गया कि – वादिनी द्वारा यह दावा सर्वथा गलत, असत्य एवं निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। यह कि प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 5 के ग्रेटग्राण्ट फादर एवं प्रतिवादनी नं0 6 के दादी ससुर श्री रामनारायण आत्मज श्री श्याम नाथ जी निवासी छावनी कोटा का सन् 1966 में स्वर्गवास हो गया था श्री रामनारायण जी के खाते व कब्जे काश्त में ग्राम बोरखंडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में 4 किता की 39 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि स्थित थी। रामनारायण जी खातेदार के स्वंगवास के उपरान्त उनके खाते की उपरोक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 18.03.1970 के जर्ये उनके चारों पुत्र क्रमशः माधवलाल उर्फ माधवराव, खेमराज उर्फ किशनलाल, जगन्नाथ, मोहनलाल एव एक मृतक पुत्र गोपालप्रसाद की पत्नि श्रीमती गुलाब बाई के खाते से सम्भाग से दर्ज की गई थी। श्रीमती गुलाब बाई का लगभग 10 वर्ष पूर्व लाऔलाद स्वंगवास हो चुका है। उसके वारिसान उसके स्वर्गीय पति गोपालप्रसाद के चारों भाई समभाग से हुये अर्थात माधवलाल उर्फ माधवराव, खेमराज उर्फ किशनलाल, जगन्नाथ, मोहनलाल प्रत्येक उपरोक्त भूमि के समभाग से 1/4, 1/4 हिस्से के सहकृषक हुये।
- सहखातेदार माधवलाल उर्फ माधवराव, सहखातेदार खेमराज उर्फ किशनलाल व खातेदार जगन्नाथ का स्वर्गवास हो चुका है। सहखातेदार मोहनलाल जीवित है। जिसे प्रतिवादी नम्बर 9 के रूप में इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। सहखातेदार स्वर्गीय माधवलाल के वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 है। सहखातेदार स्वर्गीय खेमराज उर्फ किशनलाल एवं सहखातेदार स्वर्गीय जगन्नाथ के वारिसान क्रमशः प्रतिवादीगण नम्बर 7/1 लगायत 7/3 एवं प्रतिवादीगण नम्बर 8/1 लगायत 8/4 है। यह कि सहखातेदार माधवलाल उर्फ माधवराव प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के ग्राण्ड फादर थे उनके स्वर्गवास के उपरान्त उनके हिस्से की उपरोक्त भूमि उनके पुत्र एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के पिता व प्रतिवादिनी नम्बर 6 के पति रविन्द्र कुमार एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 की दादी एवं प्रतिवादिनी नम्बर 6 की सास बहादुर बाई के खाते समभाग से दर्ज की गई थी। बहादुर बाई के स्वर्गवास के उपरान्त उनके हिस्से की भूमि उनके पुत्र रविन्द्र कुमार के तनहा खाते दर्ज की गई थी। इस प्रकार रविन्द्र कुमार उपरोक्त भूमि के 1/4 हिस्से के सहकृषक हुये। रविन्द्र कुमार का सन् 2000 में स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 क्रमशः उनके पुत्र, पुत्रियां व पत्नी होने से उत्तराधिकारी है। प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत का उपरोक्त 39 बीघा 8 बिस्वा भूमि में 1/4 हिस्सा है। जो 9 बीघा 17 बिस्वा होता है। प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 6 का नाम राजस्व रिकोर्ड जमा बन्दी में दर्ज हो चुका है। यह है कि समस्त खातेदारान का उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर शामलाती कब्जा था तथा सहखातेदारान के मध्य उपरोक्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। बिना विभाजन हुये किसी भी सहखातेदार को विशिष्ट ख0 नं0 की भूमि को अथवा विशिष्ट हिस्से की भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कि सहखातेदार जगन्नाथ ने अपने जीवनकाल में ही शामलाती खाते व कब्जे की उपरोक्त भूमि में से खसरा नम्बर 24 की 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपने हिस्से की होना जाहिर कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1967 को दीगर सहकृषकों की सहमति एवं अनुमति

के बिना, बिना विभाजन कराये सरदार जगरूप सिंह आत्मज सरदार गुरुदयाल सिंह सिद्दू जाति सिक्ख पंजाबी निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था। उपरोक्त भूमि नामान्तरण संख्या 40 दिनांक 23.08.1972 के जरिये क्रेता के पृथक खाते दर्ज हो चुकी है तथा उपरोक्त विक्रय की गई सम्पूर्ण भूमि 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि तत्कालीन सहखातेदारान के शामलाती खाते मे से हटा दी गई थी। जमाबन्दी सम्वत् 2031 लगायत 2034 मे उपरोक्त भूमि क्रेता जगरूप सिंह के खाते में दर्ज की जा चुकी है।

- सहखातेदार खेमराज उर्फ किशन लाल ने अपने जीवनकाल मे ही शामलाती खाते व कब्जे की उपरोक्त भूमि में से एक भाई की मृत्यु होना बतलाकर अपना 1/4 हिस्सा होना जाहिर कर भूमि अपने हिस्से की होना जाहिर कर खसरा नम्बर 28 की 22 बीघा भूमि में से 11 बीघा भूमि पश्चिम दिशा की जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 26.11.1969 को 13000/– रूपये में दीगर सहकृषकों माधव लाल उर्फ माधवराव वगै0 की सहमति एवं अनुमति के बिना, बिना विभाजन कराये क्रेता रामलाल सेठी आत्मज चन्द्र सिंह सेठी निवासी गुमानपुरा कोटा जिला कोटा को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था। क्रेता रामलाल जी ने उपरोक्त भूमि को दिनांक 10.07.1972 को जगजीत कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह जी जाति सिक्ख निवासी कोटा को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था। उपरोक्त भूमि नामान्तरणकरण संख्या 26 दिनांक 27.07.1972 के जरिये क्रेता श्रीमती जगजीत कौर के खाते दर्ज की गई थी इस प्रकार उपरोक्त भूमि तत्कालीन सहखातेदारान के शामलाती खाते में से हटा दी गई थी।
- सहखातेदार मोहनलाल प्रतिवादी नम्बर 9 ने अपने जीवनकाल में ही शामलाती खाते व कब्जे की उपरोक्त भूमि में से खसरा नम्बर 28 की 22 बीघा भूमि में से 11 बीघा भूमि पूर्व दिशा की तरफ की भूमि अपने हिस्से की होना जाहिर कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1972 को दीगर सहकृषकों माधव लाल उर्फ माधवराव वगै0 की सहमति एवं अनुमति के बिना, बिना विभाजन कराये क्रेता श्री पन्नालाल आत्मज बाला जी लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा को बेचान कर कब्जा सम्भल दिया था। उपरोक्त भूमि नामान्तरणकरण सं0 41 दिनांक 26.08.1972 के जरिये क्रेता पन्ना लाल के खाते दर्ज हो चुकी है। उपरोक्त भूमि तत्कालीन खातेदारान के शामलाती खाते में से हटादी जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2031 लगायत 2034 एवं जमाबंदी सम्वत् 2035 लगायत 2038 में पन्ना लाल के खाते में अंकित है। मोहन लाल सहखातेदार द्वारा पन्ना लाल को विक्रय की गई उपरोक्त भूमि का बटा न0 354/28 रकबा 11 बीघा कायम किया गया था।
- उपरोक्तानुसार शामलाती खाते की भूमि में से सहखातेदारान जगन्नाथ, मोहनलाल, खेमराज उर्फ किशन लाल द्वारा उनके हिस्से से ज्यादा भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया गया है। उपरोक्त सहखातेदारान द्वारा श्री गोपाल प्रसाद जी एवं श्रीमती गुलाब बाई के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि बेच दी तथा कुछ भूमि वादीगण के हिस्से की भी अवैध रूप से बेच दी।
- वादिनी को दावा प्रस्तुत करने के लिये कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद से कोई वाद कारण प्रकट नहीं होता है। अतः दावा वादिनी खारिज होने योग्य है। यह कि वादिनी ने हम प्रतिवादीगणों को केवल परेशानी के उद्देश्य से यह दावा प्रस्तुत किया है। अतः हम प्रतिवादीगण को वादिनी से 20000/– रूपये बतौर विशेष हर्जाना दिलवाया जावें। यह कि वादिनी ने हम प्रतिवादीगणों एवं दीगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध हक घोषणा खातेदारी एवं विभाजन आराजी का दावा दिनांक 17.07.2007 को प्रस्तुत किया था हम प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्ववर्ती वाद है। अतः वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्टे किये जाने योग्य है।
- वादिनी विक्रय पत्रों को चेलेन्ज करना चाहती है। दीवानी न्यायालय से विक्रय पत्र निरस्त कराये बिना वादिनी कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद दीवानी न्यायालय के श्रवण योग्य है। उक्त वाद राजस्व न्यायालय के श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है। कि दावा वादिनी मे खर्चा खारिज फरमाया जावे।
- प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 द्वारा अपने कथन के समर्थन में जवाब दावे के साथ निम्न दस्तावेजात पेश किये गये –

1) नकल जमाबन्दी संवत 2023–2026 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2) नकल जमाबन्दी संवत 2016–2024 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3) नकल जमाबन्दी संवत 2031–2034 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

4) नकल जमाबन्दी संवत 2023–2026 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5) नकल इन्तकाल नम्बर 83 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा, कोटा दिनांक 23.12.78
6) नकल जमाबन्दी संवत 2031–2034 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
7) नकल जनाबन्दी संवत 2031–2034 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
8) नकल विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1968
9) प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम बोरखण्डी विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1972
10) प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम बोरखण्डी विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1972
11) प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षैत्रफल ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा, संवत 2056–57
12) प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2061–2064 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा
13) नकल इंतकाल नम्बर 41 दिनांक 23.04.1972 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा
14) नकल इंतकाल नम्बर 40 दिनांक 23.04.1972 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा
15) नकल इंतकाल नम्बर 26 दिनांक 27.07.1972 ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा
16) नकल जमाबन्दी ग्राम बोरखण्डी संवत 2053–2056
17) नकल नामान्तकरण ग्राम बोरखण्डी नामान्तकरण संख्या 59, 75, 76, 80
18) नकल नामान्तकरण ग्राम बोरखण्डी नामान्तकरण संख्या 75, 76

3- प्रतिवादी क्रम 11 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि

(b)
- प्रतिवादी क्रम 10 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 के पक्ष में किया गया बेचान पूर्णतया विधिवत है। तथा वादी के द्वारा इस बेचान को निरस्त करने के लिये वाद प्रस्तुत नही किया गया है। और न ही पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.02.1995 जो प्रतिवादी क्रम 10 के द्वारा, प्रतिवादी क्रम 2 के पक्ष में किया गया है, को निरस्त करने की कोई प्रार्थना नहीं की है।
- वादिनी का वाद धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में मेन्टेनेबल नही होने से खारिज होने योग्य है।
- प्रार्थना वादिनी अस्वीकार कर विशेष आपत्तियाँ में निवेदन किया गया कि – प्रतिवादी क्रम 11 के वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 21 का रकबा 2.002 की 0.0808 हैक्टर भूमि लीला बाई से जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.02.1995 को क्रय किया था। उपरोक्त भूमि लीला बाई के पिता स्वर्गीय पन्ना आत्मज बाला के खाते दर्ज थी। स्वर्गीय पन्ना की मृत्यु दिनांक 03.12.1993 को हो जाने के कारण लीला बाई एवं स्वर्गीय पन्नालाल के अन्य उत्तराधिकारियों के नाम इंतकाल खोला गया। लीला बाई वाद ग्रस्त भूमि की खातेदार थी तथा श्रीमती लीला बाई के द्वारा प्रतिवादी को बैहेसियत खातेदार बेचान किया है।
- वादी का वाद घोषणा के अभाव में मेन्टेबल नहीं है। वादी के द्वारा वाद ग्रस्त आराजी के बेचान को निरस्त किये जाने की प्रार्थना नहीं की है तथा वादी के द्वारा विक्रय पत्र के निरस्तीकरण का भी कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में वादी के द्वारा मांगी गई सहायता माननीय न्यायालय नही दी जा सकती है।
- वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत रिजेक्ट किये जाने के योग्य है। क्योंकि वादी के वाद की विषयवस्तु दीवानी न्यायालय से संबंधित होने से केवल दीवानी न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।
- प्रतिवादी क्रम 11 सद्भाविक क्रेता है तथा जिस दिन उक्त आराजी को क्रय किया था, उस दिन प्रतिवादी क्रम 10 श्रीमति लालीबाई इस आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज थी तथा राजस्व रिकोर्ड में श्रीमती लालीबाई का नाम दर्ज था तथा उक्त आराजी को लालीबाई को बहैसियत खातेदार बेचान करने का पूर्ण अधिकार था।
- यह कि प्रतिवादी क्रम 11 ने उपरोक्त आराजी का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विपिन कुमार आत्मज हुकमचन्द जैन निवासी बजाजखाना कोटा को बेचान कर दिया है तथा उक्त आराजी का नामान्तरण विपिन कुमार के पक्ष में खोला जा चुका है। वादिनी को इस बेचान की जानकारी है, लेकिन वादिनी ने जानबूझकर क्रेता विपिन कुमार को पक्षकार नहीं बनाया है। विपिन कुमार इस प्रकरण में वर्तमान में आराजी का स्वामी होने के कारण आवश्यक पक्षकार है तथा वादिनी का वाद नोन जोइन्डर ऑफ पार्टीज के डिफेक्ट से ग्रसित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह कि, वादिनी का वाद डिले और लेचेज से ग्रसित होने के कारण, तथा अवधि बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

- प्रतिवादी का यह भी कथन है कि उपरोक्त भूमि आराजी का बेचान लगभग 35–40 वर्ष पूर्व ही कर दिया गया था, लेकिन वादिनी ने अब तक उपरोक्त बेचानों को किस कारण से चुनौती नहीं दी, इस बात का कोई स्पष्टीकरण उसने वाद में नहीं दिया है और नहीं वादिनी द्वारा 40 वर्ष के विस्मयकारी विलम्ब को एक्सप्लेन किया है, इसलिए वादिनी का वाद डिले ऑफ लैचेज के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।
- अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी का वाद उपरोक्त परिस्थितियों में प्रतिवादी क्रम 11 के विरूद्ध मेन्टेनेबल नहीं होने से सत्वय निरस्त फरमाया जावें।

3-(c) प्रतिवादी क्रम 15 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

- ❖ प्रतिवादी क्रम 15–16 रजिस्टर्ड क्रेता है। इस आधार पर प्रतिवादी 15 व 16 का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है एवं प्रतिवादीगण 15 व 16 भूमि खरीद की तिथि से ही काबिज है व बोनाफाइड परचेजर है। रिकोर्ड में इन्द्राज किया गया प्रतिवादी नं0 15 व 16 का नाम कानूनी रूप से दर्ज किया गया है।
- ❖ वाद पत्र की प्रार्थना अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियों में निवेदन किया गया कि – वादिनी द्वारा यह वाद पत्र सर्वथा गलत असत्य एवं निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। यह कि प्रतिवादीगण 15 व 16 द्वारा खसरा नम्बर 29 की रकबा 1.84 हेक्टर वाके ग्राम बोरखंडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिसे प्रतिवादीगण ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1992 को खातेदारान मदनलाल एवं मोहनलाल पिसरान शंकरलाल जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा से खरीद की है जिसका नामान्तरण राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादीगण 15 व 16 के नाम दर्ज है। तब से मौके पर प्रतिवादी क्रम 15 व 16 ही काबिज है व काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी रजिस्ट्री की फोटो कापी जवाब के साथ संलग्न है।
- ❖ प्रतिवादी नम्बर 16 श्रीमती श्रवनीबाई पत्नी इरदेवजी जो कि प्रतिवादी नम्बर 15 की पत्नी है जिसका देहान्त दिनांक 28.01.2000 को हो चुका है जिसका मृत्युप्रमाण पत्र जवाब के साथ संलग्न है।
- ❖ वादिनी को दावा प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य है। यह कि वादिनी ने प्रतिवादिगी गण 15 व 16 को परेशान करने एवं ब्लेकमेल करने के उद्देश्य से दावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण 15 व 16 मानसिक संताप हुआ है एवं नाजायज खर्चा वहन करना पड रहा है।
- ❖ वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह कि वादिनी का वाद समय बाधित है। आउट ऑफ लिमिटेशन है। वादिनी का दावा सव्यय खारिज फरमाया जावे।

4- प्रकरण में कन्सोलिडेट वाद बउनवान 'जितेन्द्र बनाम खेमराज' के वादी द्वारा पेश किये गये वादपत्र में निवेदन किया गया था –

- वादीगण, मृतक खेमराज, मृतक जगननाथ एवं प्रतिवादी नम्बर 1/1 लगायत 1/3, प्रतिवादी नम्बर 2/1 ता 2/3 व प्रतिवादी नम्बर 3 एक ही परिवार के सदस्य है।
- यह कि वादी नम्बर 1 लगायत 5 के ग्रेटग्राण्ड फादर एवं वादिनी नम्बर 6 के दादी ससुर श्री रामनारायण आत्मज श्री श्याम नाथ जी निवासी छावनी कोटा का सन् 1966 में स्वर्गवास हो गया था। श्री रामनारायण जी के खाते व कब्जे काश्त में ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 24, 28, 70, 20/300कुल किता 4 की 39 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि स्थित थी।
- रामनारायण जी खातेदार के स्वर्गवास के उपरान्त उनके खाते व कब्जे की उपरोक्त 4 किता की 39 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा नामान्तरण संख्या 6 दिनांक 18.03.1970 के जरिये उनके चारों पुत्र क्रमशः माधवलाल उर्फ माधवराव, खेमराज उर्फ किशन लाल, जगन्नाथ, मोहनलाल एवं एक पूर्व मृतक पुत्र गोपाल प्रसाद की पत्नी श्रीमती गुलाब बाई के खाते से सम्भाग से दर्ज की गई थी अर्थात उपरोक्त भूमि में सम्भाग से 1/5, 1/5 हिस्सा था जो 7 बीघा 17.50 बिस्वा होता है। श्रीमती गुलाब बाई का लगभग 10 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है।
- सहखातेदार माधवलाल उर्फ माधव राव, सहखातेदार खेमराज उर्फ किशन लाल व खातेदार जगन्नाथ का स्वर्गवास हो चुका है। सहखातेदार मोहनलाल जीवित है। जिसे प्रतिवदी नम्बर 3 के रूप में इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। सहखातेदार स्व. माधव लाल के वारिसान वादीगण है। सहखातेदार स्वर्गीय खेमराज उर्फ किशन लाल एवं सहखातेदार स्वर्गीय जगन्नाथ के वारिसान क्रमशः प्रतिवादीगण नम्बर 1/1

लगायत 1/3 एवं प्रतिवादी नम्बर 2/1 लगायत 2/4 है।

- सहखातेदार माधवलाल उर्फ माधवराव वादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के पारुड फादर थे उनके स्वर्गवास के उपरान्त उनके हिस्से की उपरोक्त भूमि उनके पुत्र एवं वादी नम्बर 1 लगायत 5 के पिता व वादिनी नम्बर 6 के पति श्री रविन्द्र कुमार जी एवं वादी नम्बर 2 लगायत 5 की दादी व वादिनी नम्बर 6 की सास श्रीमती बहादुर बाई के खाते सम्भाग से दर्ज की गई थी। श्रीमती बहादुर बाई के स्वर्गवास के उपरान्त उनके हिस्से की भूमि उनके पुत्र रविन्द्र कुमार जी के तनहा खाते दर्ज की गई थी। इस प्रकार श्री रविन्द्र कुमार जी उपरोक्त भूमि के 1/1 हिस्सा है, जो 9 बीघा 17 बिस्वा वादीगण का सनाम राजस्व अभिलेख जमा बन्दी में दर्ज हो चुका है।
- समस्त खातेदारान का उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर शामलाती कब्जा था तथा सहखातेदारान के मध्य उपरोक्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। बिना विभाजन हुये किसी भी सहखातेदार को विशिष्ट खसरा नम्बर की भूमि को अथवा विशिष्ट हिस्से की भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है।
- सहखातेदार जगन्नाथ जी ने अपने जीवनकाल में ही शामलाती खाते व कब्जे की उपरोक्त भूमि में से खसरा नम्बर 24 की 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सह कृषकों की सहमति एवं अनुमति के बिना, बिना विभाजन कराये बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था। सहखातेदार जगन्नाथ जी द्वारा उनके हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान गैर कानूनी रूप से किया गया था इसी कारण उक्त बेचान जगन्नाथ जी के 1/5 हिस्से की सीमा से परे, अवैध एवं प्रभावशून्य है। उपरोक्त बेचान विशिष्ट खसरा नम्बर का होने से वादीगण के हितों के विरुद्ध प्रभावहीन है।
- सहखातेदार खेमराज उर्फ किशन लाल ने अपने जीवनकाल में ही शामलाती खाते व कब्जे की उपरोक्त भूमि में से एक भाई की मृत्यु होना बताकर अपना 1/4 हिस्सा होना जाहिर कर खसरा नम्बर 28 की 22 बीघा भूमि में से 11 बीघा भूमि पश्चिम दिशा की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दीगर सह कृषकों माधव लाल उर्फ माधवराव वगैरा की सहमति एवं अनुमति के बिना, बिना विभाजन कराये बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था। सहखातेदार श्री खेमराज उर्फ किशन लाल जी द्वारा उनके हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान गैर कानूनी रूप से किया गया था। इस कारण उक्त बेचान खेमराज उर्फ किशन लाल के 1/5 हिस्से की सीमा से परे, अवैध एवं प्रभावशून्य है तथा वादीगण के हितों के विरुद्ध प्रभावशून्य है तथा वादीगण के हितों के विरुद्ध प्रभावहीन है। उपरोक्त बेचान विशिष्ट खसरा नम्बर होने से कानूनन नहीं किया जा सकता है।
- सहखातेदार मोहन लाल प्रतिवादी नम्बर 3 ने अपने जीवनकाल में ही शामलाती खाते व कब्जे की उपरोक्त भूमि में से खसरा नं0 28 की 22 बीघा भूमि में से 11 बीघा भूमि पूर्व दिशा की तरफ की भूमि अपने हिस्से की होना जाहिर कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दीगर सहकृषकों माधव लाल उर्फ माधवराव वगैरा की सहमति एवं अनुमति के बिना, बिना विभाजन कराये बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था। सहखातेदार श्री मोहन लाल प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा उनके 1/5 हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान गैर कानूनी रूप से किया गया था इस कारण उक्त बेचान सहखातेदार मोहन लाल के 1/5 हिस्से की सीमा से परे, अवैध एवं प्रभावशून्य है तथा वादीगण के हितों के विरुद्ध प्रभावशून्य है तथा सहखातेदार प्रतिवादी नं 3 मोहन लाल द्वारा विशिष्ट खसरा नम्बर की भूमि का बेचान किये जाने से उक्त बेचान गैर कानूनी अवैध प्रभावशून्य एवं अनाधिकृत है तथा वादीगण के हितों के विरुद्ध बेअसर है।
- उपरोक्त लिखे अनुसार शामलाती खाते की उक्त भूमि में से सहखातेदारान जगन्नाथ, मोहनलाल, खेमराज उर्फ किशनलाल उनके हिस्से से ज्यादा भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया गया है। सहखातेदार जगन्नाथ द्वारा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि, सहखातेदार खेमराज उर्फ किशन लाल एवं मोहन लाल प्रत्येक द्वारा 11–11 बीघा भूमि का बेचान किया गया है, जो उनके हिस्से की भूमि से काफी ज्यादा भूमि का बेचान करने से एवं विशिष्ट खसरा नम्बर एवं दिशा विशेष का बेचान होने से अवैध एवं प्रभावशून्य है। उपरोक्त सहखातेदारान द्वारा श्री गोपाल प्रसाद जी एवं श्रीमती गुलाब बाई के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि बेच दी तथा कुछ भूमि वादीगण के हिस्से की भी अवैध रूप से बेच दी। सहखातेदार खेमराज उर्फ किशन लाल की मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1/1 लगायत 1/3, सहखातेदार जगन्नाथ (मृतक) उसके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 2/1 लगायत 2/4 एवं प्रतिवादी नम्बर 3 मोहनलाल का शामलाती खाते की शेष बची भूमि में कोई हक एवं अधिकार नहीं है तथा कब्जा नहीं हैं। उनके समस्त हक, हकूक उनके पूर्वजों क्रमश: खेमराज उर्फ किशन लाल,

जगन्नाथ द्वारा तथा प्रतिवादी नम्बर 3 मोहनलाल स्वयं द्वारा उनके हिस्से से ज्यादा भूमि विक्रय कर देने से शेष बची भूमि में उनके समस्त हक हकूक Extinguish हो चुके है तथा प्रतिवादीगण के कोई हक, हकूक विक्रय से शेष बची 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि में विद्यमान नही है।

- वादीगण की ग्राण्ड फादर श्री माधव लाल उर्फ माधव राव, वादीगण के पिता श्री रविन्द्र कुमार जी एवं दादी (ग्राण्ड मदर) श्रीमती बहादुर बाई द्वारा शामलाती खाते की वाद पत्र की में वर्णित उपरोक्त भूमि में से किसी भी भूमि का किसी भी व्यक्ति को कोई बेचान नही किया गया है तथा शामलाती खाते की उपरोक्त भूमि का जो बेचान किया है वह दीगर सहखातेदार खेमराज उर्फ किशन लाल, जगन्नाथ एवं प्रतिवादी नम्बर 3 मोहनलाल द्वारा बिना विभाजन कराये अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का अवैध रूप से किया गया है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को शामलाती खाते की उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि में से विक्रेता सहखातेदारान जगन्नाथ, खेम राज उर्फ किशन लाल, मोहन लाल का नाम राजस्व अभिलेख से हटा कर क्रेतागण का नाम दर्ज करना चाहिए था परन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने गैर कानूनी रूप से विक्रेता सहखातेदारान का नाम शामलाती खाते से नहीं हटाया एवं शामलाती खाते में से क्रेतागण को विक्रय की गई भूमि क्रेतागण के पृथक खाते कर दी तथा विक्रय से शेष बची भूमि जो केवल माधव लाल उर्फ माधव राव के हिस्से व कब्जे की शेष रही थी उसके तनहा खाते में दर्ज की जानी चाहिये थी। उसके स्वर्गवास के उपरान्त उनका पुत्र एवं पत्नी क्रमशः रविन्द्र कुमार व श्रीमती बहादुर बाई एवं उनका स्वर्गवास हो जाने से उनके उत्तराधिकारी होने से हम वादीगण उपरोक्त भूमि पर काबिज है तथा उपरोक्त भमि अपने तनहा खाते दर्ज कराने के अधिकारी है तथा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में से प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 लगायत 1/3, 2/1 लगायत 2/4 एवं प्रतिवादी नम्बर 3 का नाम हटवाने के अधिकारी है।
- दीगर सहखातेदारान खेमराज उर्फ किशनलाल, जगन्नाथ एवं मोहनलाल द्वारा वाद पत्र में उपरोक्त लिखे अनुसार विक्रय की गई भूमि के बाद शेष बची भूमि जो हम वादीगण के पूर्वजों एव हम वादीगण के तनहा हिस्से व कब्जे की है। जिसमें निम्न इन्द्राज अंकित है– उपरोक्त लिखे अनुसार उपरोक्त 2 किता 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर श्री माधवलाल उर्फ माधवराव का एवं उनके स्वर्गवास के उपरान्त हम वादीगण के पिता एवं दादी श्रीमती बहादुर बाई का उपरोक्त भूमि पर तनहा कब्जा रहा तथा उनके स्वर्गवास के उपरान्त से उनके उत्तराधिकारी होने से हम वादीगण का उपरोक्त भूमि पर तनहा कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी हम वादीगण उपरोक्त भूमि के तनहा खातेदार टेनेन्ट हो गये है तथा प्रतिवादी नम्बर 1/1 लगायत 1/3, प्रतिवादी नम्बर 2/1 लगायत 2/4 के पूर्वजों एवं प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा उनके हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान कर दिये जाने से उनका नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी से हटाये (Delete) किये जाने योग्य है। सहखातेदार श्रीमती गुलाब बेवा गोपाल प्रसाद का स्वर्गवास हो चुका हैं। अतः उसे पक्षकार बनाये बिना यह दावा प्रस्तुत किया गया है। उसके वारिसान हम वादीगण हैं। अतः उपरोक्त 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि हम वादीगण अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है।
- वाद पत्र की चरण नम्बर 13 में वर्णित भूमि के नये खसरा नम्बर 88 रकबा 0.12 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 90 रकबा 0.84 हैक्टर जुमला 2 किता की 0.96 हैक्टर कायम हुआ है। जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सहवन से श्री रविन्द्र कुमार एवं श्रीमती बहादुर बाई के स्थान पर पुनः मृतक खातेदार माधव राव जो श्री रविन्द्र कुमार जी के पिता एवं श्रीमती बहादुर बाई के पति का नाम गलत एवं अवैध रूप से दर्ज कर दिया। खातेदार माधवलाल उर्फ माधवराव के एवम् मृतक श्रीमती बहादुर बाई के वादीगण नम्बर 1 लगायत 5 क्रमशः पौत्र व पौत्रियां होने से तथा वादिनी नम्बर 6 पुत्रवधु होने से तथा मृतक रविन्द्र कुमार के पुत्र, पुत्रिया व पत्नी होने से वादीगण उनके कानूनन उत्तराधिकारी होने से उपरोक्त भूमि का अपने को खातेदार टेनेन्ट घोषित करवाकर उपरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है।
- सहखातेदारान मृतक खेमराज उर्फ किशनलाल, मृतक जगन्नाथ एवं प्रतिवादी नम्बर 3 मोहनलाल द्वारा शामलाती खाते में से बेचान की गयी भूमि में शेष बची उपरोक्त लिखेनुसार 2 किता की 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि जिसका हाल रकबा 2 किता की 0.96 हैक्टर भूमि हम वादीगण उनके तनहा खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है।
- प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में गलत एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से उनका नाम दर्ज चल आने के कारण वे उपरोक्त भूमि को गैर कानूनी एवं

अनाधिकृत रूप से खुर्द बुर्द एवं हस्तान्तरित करने पर आमादा है। अतः वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश कर डिक्री प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। इस कारण वाद पेश है।

- वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 10.10.2006 को उक्त भूमि वादीगण के तन्हा खाते दर्ज कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तथा उन्होंने वादीगण को धमकी दी कि उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। इस कारण उपरोक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर देंगे। ऐसी स्थिति में वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ प्राप्त हक, घोषणा, खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर डिक्री प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।
- वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा गैर-कानूनी व अनाधिकृत रूप से उपरोक्त भूमि में से विशिष्ट खसरा नम्बर की विशिष्ट दिशा की भूमि का श्री माधव राव जी एवं वादीगण की जानकारी व अनुमति के बिना ही बेचान कर देने पर तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उपरोक्त भूमि को अपने तनहा खाते दर्ज करवाने बाबत् दिनांक 10.10.2006 को कहने पर उनके द्वारा इन्कार हो जाने पर तथा उपरोक्त भूमि के अवैध इन्द्राजात के आधार पर खुर्द बुर्द कर देने की धमकी देने पर पैदा हुआ।
- अतः वाद पेश कर प्रार्थना पत्र है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि ग्राम बोरखंडी तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 70 की 5 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 70/300 की 15 बिस्वा जुमला 2 किता की 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 89 रकबा 0.12 हैक्टर व खसरा नम्बर 90 रकबा 0.84 हैक्टर कुल 2 किता की 0.96 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार टेनेन्ट घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का नाम डिलिट फरमाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे। स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि के अवैध एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर, उपरोक्त भूमि को रहन, बेच, हिब्बा नहीं करे, उपरोक्त भूमि को हस्तान्तरित नहीं करे तथा प्रतिवादीगण वादीगण के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करे, उक्त कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

5- दौराने वाद, उक्त कन्सोलिडेट वाद में वादिनी की ओर से (वादिनी को पक्षकार बनाये जाने के लिये) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पेश किया गया, जो स्वीकार किये जाने पर कन्सोलिडेट वाद बउनवान "जितेन्द्र बनाम खेमराज" में प्रतिवादी क्रम 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया।

6- कन्सोलिडेट में बनी नई पक्षकार प्रतिवादिनी क्रम-5 की ओर से उक्त कन्सोलिडेट वाद का जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि

- वाद पत्र की मद में अंकित आराजी पुश्तैनी आराजी होना स्वीकार है, जिसमें प्रतिवादनी क्रम 5 का 1/5 हिस्सा निहित है।
- वाद पत्र में जो पारिवारिक शजरा अंकित किया गया है, वह असत्य एवं मिथ्या होने से स्वीकार नहीं है क्योंकि गोपाल प्रसाद व गुलाब बाई की जायन्दा औलाद कौशल्या बाई जीवित है, जो उनके स्थान पर 1/5 हिस्से की हकदार है।
- रामनारायण जी के खाते की भूमि 39 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में होना, और उनकी मृत्यु उपरान्त नामान्तरणकरण संख्या 6 दिनांक 18.08.1970 को क्रमशः उनके पुत्र माधवलाल उर्फ माधवराव, खेमराज उर्फ किशनलाल, जगन्नाथ मोहनलाल एवं गोपाल प्रसाद की मृत्यु हो जाने से उसकी पत्नि गुलाब बाई का नाम दर्ज हुआ, इस प्रकार 1/5, 1/5 हिस्सा रामनारायण जी के मरने के बाद दर्ज होना स्वीकार है, किंतु इस पैरा में लिखे शेष कथन अस्वीकार है। क्योंकि गोपाल प्रसाद व गुलाब बाई के नुत्फे से उनकी जायन्दा औलाद कौशल्या बाई मौजूद है। गोपाल प्रसाद व गुलाब बाई के 1/5 हिस्से की हकदार उनकी जायज उत्तराधिकारी प्रति० नम्बर 5 कौशल्या बाई उनके हिस्से की आराजी दुरूस्त करवाकर अपने खाते दर्ज करवाकर, बंटवारा कराकर पृथक खाते दर्ज कराने की अधिकारी है।
- प्रकरण की विवादित आराजी का विधिवत विभाजन आज तक नहीं हुआ है, यह तथ्य स्वीकार है।
- जगन्नाथ द्वारा भूमि का विक्रय किया गया है, वह अपने हिस्से से अधिक किया गया है, जो प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि बिना

विधिवत बंटवारे के कोई भूमि विक्रय नही की जा सकती है, और न ही अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का विक्रय नही किया जा सकता और न ही विक्रय से अधिक भूमि का विक्रय किया जा सकता है।

- खेमराज उर्फ किशनलाल द्वारा जो भूमि का विक्रय किया गया है, वह भी अपने हिस्से से ज्यादा का विक्रय किया गया है और बिना विधिवत बंटवारे के किया गया है, जो प्रारंभ से ही प्रभावशून्य होने से निरस्त होने योग्य है, एवं प्रतिवादी नं0 5 सम्पूर्ण आराजी 39 बीघा 8 बिस्वा में से 1/5 हिस्सा अपने खाते दर्ज करवाकर दुरूस्त करवा कर बंटवारा प्राप्त करने की अधिकारी है।
- सहखातेदार मोहन लाल द्वारा भी गलत रूप से अपने हिस्से व बिना विधिवत बंटवारे के भूमि का गलत रूप से विक्रय कर दिया गया है, जो प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है क्योंकि मोहनलाल को अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नही था और ऐसा विक्रय प्रारंभ से ही प्रभावशून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। और प्रतिवादी नम्बर 5 उक्त सम्पूर्ण आराजी, जो रामनारायण जी के खाते की थी, और जो पुश्तैनी है, पर गोपाल प्रसाद जी के 1/5 हिस्से को अपने पृथक खाते दर्ज करवा कर बंटवारा कराकर दुरूस्ती कराने की अधिकारिणी है।
- जगन्नाथ, मोहनलाल, खेमराज उर्फ किशनलाल ने गलत रूप से जरिये रजि0 विक्रय पत्र द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय कर दिया, जो प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। इस मद में गुलाब बाई के हिस्से की भूमि का विक्रय करना भी गलत अंकित कर रखा है जब कि गुलाब बाई व गोपाल प्रसाद ने अपने जीवनकाल में उक्त पुश्तैनी आराजी में से अपना कोई हिस्सा विक्रय नही किया है, और उनकी जायन्दा औलाद कौशल्या बाई मौजूद है, जो उनके हिस्से को प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इसलिए शेष भूमि मे कौशल्या बाई के हक हकूक मौजूद है और उसके अलावा उसके हिस्से में आई भूमि सम्पूर्ण भूमि वापस संयुक्त खाते दर्ज करवाँकर बंटवारा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इसलिये कौशल्या बाई के हक हकूक मौजूद है। और उसके अलावा अस्वीकार है।
- वादीगण का यह कथन भी अस्वीकार है कि वादीगण का नाम शेष भूमि में दर्ज किया जावे, जबकि सम्पूर्ण आराजी का अवैध बेचान निरस्त करते हुये संयुक्त खाते में दर्ज कर 1/5, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 5 सहित दर्ज कर पृथक पृथक बंटवारा किया जाना आवश्यक है। वादीगण को प्रस्तुत वाद का कोई कारण उत्पन्न नही हुआ है, और उचित वाद कारण के अभाव में भी दावा वादी गण खारिज होने योग्य है। प्रार्थना वादीगण पूर्णतया अस्वीकार है।

⇒ उक्त जवाब दावा के विशेष कथन अंकित करते हुये अंकित किया गया कि कौशल्या बाई गोपाल प्रसाद व गुलाबबाई की एकमात्र जायन्दा पुत्री व उत्तराधिकारी है और पुश्तैनी आराजी में से अपना 1/5 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाकर बंटवारा करवाकर पृथक खाते दर्ज कराने की अधिकारिणी है।

⇒ सहखातेदार जगन्नाथ, खेमराज व मोहनलाल ने माधवलाल के साथ मिलकर गलत रूप से 39 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 11-11 बीघा भूमि विक्रय कर दी, जो न तो उन्हें विक्रय का अधिकार था और न अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय कानूनन खेमराज, जगन्नाथ, मोहनलाल कर सकते थे और ऐसा विक्रय कानूनन प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है व क्रेता स्ट्रेन्जर परचेजर की श्रेणी में आने से उनका कोई अधिकार उक्त भूमि पर नहीं बनता है।

⇒ इस सम्बन्ध में प्रतिवादिनी नम्बर 5 ने अलग से सम्पूर्ण आराजी के घोषणा, दुरूस्ती व बंटवारे तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक वाद बउनवान "कौशल्या बनाम जितेन्द्र वगैरहा" माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें सम्पूर्ण आराजी को संयुक्त खाते में दर्ज कर दुरूस्ती करवाकर पिसिवंत 1/5, 1/5 हिस्सा पृथक पृथक बंटवारा करने की इस्तदुआ की गई है। इसलिये भी उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है।

⇒ अतः दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

7- प्रकरण के दोनों वादपत्रो एवं पेश हुये जवाब दावों के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

(अ) आया वादिनी गोपाल प्रसाद की पुत्री व रामनारायण जी की पोत्री होने से वाद पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी जिसके सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर वाद पत्र के पैरा नं. 3 में दर्ज है, में से 1/5 हिस्सा पृथक खाते दर्ज करवा कर बंटवारा कराने की अधिकारी है। (वादिनी)

(b) आया उक्त आराजी का आज तक कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ, इसलिये स्पेसिफिक खसरा नम्बरान अन्य के खाते दर्ज नहीं हो सकते, इसलिये गलत इन्द्राज प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य होने से सम्पूर्ण आराजी संयुक्त खाते में दर्ज करवाकर दुरूस्ती, व बंटवारा कराने की वादिनी अधिकारी है। (वादिनी)

(c) आया वादिनी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। (वादिनी)

(d) आया वादिनी गोपाल की पुत्री नहीं है इसलिये वाद लाने व बंटवारा कराने की अधिकारी नहीं है। (प्रतिवादी)

(e) आया दावा मियाद बाहर है। (प्रतिवादी)

(f) सहायता ?

(g) न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार नहीं है। (प्रतिवादी–15)

8- प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई।

- वादी अभिभाषक द्वारा अपने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में एक वाद रविन्द्र वगैरहा द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है जो इस वाद के साथ कन्सोलिडेट है। उसमें भी रविन्द्र के वारिसान ने भूमि का 1/5, 1/5 हिस्सा होना और इसी अनुसार बंटवारा किया जाना स्वीकार किया है। प्रतिवादी की ओर से जितेन्द्र कुमार व हरदेव के बयान कराये गये है जिसमें भी यह स्वीकार किया है कि जिस संयुक्त आराजी के 5 सहखातेदार है तो कोई भी एक सहखातेदार अपने 1/5 हिस्से से अधिक का बेचान नहीं कर सकता है और यदि उसके द्वारा ऐसा कोई बेचान किया है तो वह प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है। नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 18.03.1970 को खुला था और गोपाललाल की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नी गुलाब बाई व पुत्री कौशल्या बाई का नाम वारिस के रूप में दर्ज है, जिसेखुले 48 वर्ष हो गये है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 76 आज तक निरस्त नहीं हुआ है। इसलिये गुलाबबाई की मृत्यु के बाद गोपाल प्रसाद के 1/5 हिस्से की हकदार वादिनी कौशल्या बाई स्वतः ही हो जाती है। स्व. रामनारायण जी के वारिसान (सहखातेदारान) द्वारा किया गया विक्रय (फ्रैगमेंट) छोटे टुकड़ों की परिभाषा में आता है जो हस्तान्तरण धारा 42 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के विरूद्ध है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार पुश्तैनी आराजी में पुत्री व पुत्र का पैदायशी हक निहित है। संयुक्त पैतृक भूमि के विधिवत विभाजन के बिना किसी भी सहखातेदार द्वारा किया गया बेचान अवैध है तथा इस प्रकार की आराजी का क्रेता, अजनबी क्रेता (Stranger purchaser), की श्रेणी, में आता है जो बिना विभाजन, किसी एक खसरा विशेष (Particular 'a' Khasra) का अधिकारी नहीं बन सकता है। अतः विवादित पैतृक आराजी के बेचान को प्रभावशून्य करते हुये तथा राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये वादिनी को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाये तथा पैतृक आराजी का विधिवत विभाजन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। वादिनी अभिभाषक द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। वादिनी अभिभषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की निम्न नजीरें पेश की गई –

(i) RRT 2011 (2), Page 1407-1408
(ii) RRD 1995, Page 113-115
(iii) RRD 1990, Page 419-422
(iv) RRD 1994, Page 569-571
(v) 2012(1) DNJ (RAJ), Page 527-531
(vi) RBJ (13) 2006, Page 671-673
(vii) RRT 2002 (2), Page 949-953
(viii) RRD 1995, Page 556-557
(ix) RBJ (25) 2018, Page 706-709

- प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के अभिभाषक द्वारा उक्त वाद के साथ कन्सोलिडेटेड अपने पूर्ववर्ती वाद संख्या 199/06 बउनवान "जितेन्द्र कुमार बनाम खेमराज वगैरहा" की ओर से लिखित बहस पेश की गई तथा अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये, दौराने मौखिक बहस निवेदन किया गया कि सहखातेदारान मृतक खेमराज उर्फ किशनलाल, मृतक जगन्नाथ एवं प्रतिवादी संख्या 3 मोहनलाल द्वारा शामलाती खाते में से बेचान की गई भूमि को विभाजन में उनके व उनके वारिसान के हिस्से में दिलाया जाना न्यायोचित है तथा शेष बची 2 किता की 0.96 हैक्टर भूमि को वादीगण तन्हा खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। गत खसरा नम्बर 70 एवं खसरा नम्बर 70/300 कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा जिसके कायम खसरा

नम्बर 88 व 90 कुल किता 2 रकबा 0.96 हैक्टर है, में से वादीगण के अलावा अन्य समस्त सहखातेदारान का नाम डिलीट किया जावे तथा उक्त आराजी को कैयल (मात्र) वादीगण के खाते दर्ज कर वादीगण को उसका खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण ने भी अपनी लिखित बहस में अनापत्ति जाहिर की है तथा वादिनी कौशल्या बाई ने भी अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि उक्त आराजी से उसका कोई सम्बन्ध नही है। तथा उक्त आराजी को वादीगण के नाम दर्ज करने में उसे कोई आपत्ति नही है। अतः निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद जितेन्द्र बनाम खेमराज (मृतक) जरिये कायम मुकामान को डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रतिवादी क्रम 15/2 के अभिभाषक द्वारा जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये अपनी बहस में निवेदन किया कि जितेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार ने जिस भूमि के लिये खातेदारी की घोषणा चाही है, उसमें हम प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है क्योंकि शेष सहखातेदार अपना अपना हिस्सा विक्रय कर चुके है। प्रतिवादीगण सद्भावी क्रेता है। प्रतिवादीगण द्वारा रिकार्ड देखकर तथा विक्रेता का कब्जा व खातेदारी देखकर उसे उचित प्रतिफल देकर आराजी खरीद की है। प्रतिवादी के पक्ष में किये गये विक्रय को संरक्षित किया जाना चाहिये। वादिनी का उक्त वाद मियाद बाहर है। अतः दावा वादिनी सव्यय निरस्त फरमाया जावे। सम्बन्धित अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की निम्न नजीरें पेश की गईं –

(i) RBJ (27) 2020, Page 377-390
(ii) RBJ (27) 2020, Page 666-669
(iii) RBJ (27) 2020, Page 16-24
(iv) 2008(3) RLW, Page 2087-2092
(v) (S9), Page 331
(vi) RTA 1955, page 142,146
(vii) 2019(4) RLW, Page 3088-3092

9- प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगणों की सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पेश किये गये साक्ष्य, नजीरों आदि का उनके गुणावगुण के आधार पर अवलोकन अध्ययन करने पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(a) *आया वादिनी गोपाल प्रसाद की पुत्री व रामनारायण जी की पोत्री होने से वाद पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी जिसके सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर वाद पत्र के पैरा नं. 3 में दर्ज है, में से 1/5 हिस्सा पृथक खाते दर्ज करवा कर बंटवारा कराने की अधिकारी है।* इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था। उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिये हमें सबसे पहले रामनारायण जी के वारिसान देखने होगें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग की जमाबन्दी संवत 2016–2024 (प्रदर्श 11 व 16) के अनुसार खाता संख्या 19 की रामनारायण वल्द श्यामनाथ, कौम नाथ के खाते खसरा नम्बर 24 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 22 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 70/300 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 39 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित थी। उक्त खाताधारक की मृत्यु उपरान्त खाता संख्या 19 के खातेदार रामनारायण का फौती नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 18.03.1970 (प्रदर्श–15) खोला गया। इसके कॉलम 16 में अंकितानुसार "दर. जगन्नाथ दिनांक 13.12.66 आदेश तह. 13.12.66 खातेदार रामनारायण नाथ की मृत्यु हो गई है। उसके पाँच सुलभी लडके माधवलाल, खेमराज, जगन्नाथ, गोपाल प्रसाद व मोहनलाल है जिनमें से गोपाल प्रसाद भी मर गया है। उसकी बेवा मु. गुलाब बाई है, लडका नहीं है, सिर्फ एक लडकी कौशल्या उम्र 3 साल है।" तथा इसी नामान्तरकरण के नवीन अंकन जो वर्तमान के स्थान पर करना है, के कॉलम संख्या 11 के अनुसार कृषक का नाम विवरण में "माधवलाल, खेमराज, जगन्नाथ, मोहनलाल बेटे रामनारायण के हिस्सा 4/5 में बराबर व मु. गुलाब बाई बेवा गोपाल प्रसाद व कौशल्या पुत्री कौम नाथ हि. 1/5 में बराबर, कौशल्या ना.बा. वली गुलाब बाई माता" अंकित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी के खातेदार रामनारायण के पुत्र मृतक गोपाल प्रसाद के वारिसान में गुलाब बाई व रामनारायण की पोत्री वादिनी (कौशल्या बाई) थी। भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा के मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–2057 (प्रदर्श–10) के अनुसार गत खसरा नम्बर 24 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 29 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 28 रकबा 22 बीघा के नये खसरा नम्बर 21 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 28 के ही मि. खसरा नम्बर 354/28 के नये खसरा नम्बर 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा

के नये खसरा नम्बर 90 रकबा 84 हैक्टर, खसरा नम्बर 70/300 रकबा 15 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 88 रकबा 0.12 हैक्टर, कुल किता 5 रकबा 6.50 हैक्टर कायम किये गये। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिनी कौशल्या बाई रामनारायण की पोत्री है जिसका सेटलमेन्ट के बाद बने नये खसरा नम्बरान किता 5 रकबा 6.50 हैक्टर में 1/5 हिस्सा निहित है। अब चूंकि विवादित आराजी वादिनी के दादा रामनारायण की आराजी है और उक्त आराजी में वादिनी का 1/5 हिस्सा निहित है तो वह (वादिनी) विवादित आराजी की इन्द्राज दुरुस्ती तथा विभाजन करवाकर अपने 1/5 हिस्से का खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः यह तनकी वादिनी के पक्ष में तय की जाती है।

(b) *आदा उक्त आराजी का आज तक कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ, इसलिये स्पेसिफिक खसरा नम्बरान अन्य के खाते दर्ज नहीं हो सकते, इसलिये गलत इन्द्राज प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य होने से सम्पूर्ण आराजी संयुक्त खाते में दर्ज करवाकर दुरुस्ती व बंटवारा कराने की वादिनी अधिकारी है।* इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था। प्रकरण में वादिनी एवं प्रतिवादी की ओर से पेश की गई नकल जमाबन्दी संवत 2016–2024, संवत 2023–2026, संवत 2031–2034, संवत 2035–2038, 2053–2056 एवं 206–2064 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त जमाबन्दियों में खातेदार रामनारायण तथा रामनारायण की मृत्यु के बाद से उनके वारिसान के नाम ही अंकित है। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण की विवादित आराजी का आदिनांक तक कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ है तथा विवादित आराजी में मूल खातेदार रामनारायण के वारिसान का 1/5, 1/5 हिस्सा विद्यमान है। इन्हीं जमाबन्दियों में स्व. रामनारायण के पुत्र स्व. गोपालप्रसाद की बेवा गुलाबबाई (जो वादिनी कौशल्या बाई की माता है) का नाम भी 1/5 हिस्से में अंकित है। चूंकि विवादित आराजी वादिनी, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5, 7/1 लगायत 7/3 तथा 8/1 लगायत 8/3 के दादा (Grandfather) स्व. रामनारायण की खातेदारी में दर्ज थी अतः उपरोक्त पक्षकारान के लिये विवादित आराजी उनकी पैतृक सम्पत्ति है।

- If the property is not divided by the members of a joint Hindu family, then it is considered as the ancestral property.
- Any property that passes undivided down four generations of male lineage is called ancestral property. ... In an ancestral property, grandsons have an equal share on the same. According to a Supreme Court ruling, a daughter can only claim ancestral property if her father died after the amendment of the Hindu law.
- Ancestral property cannot be sold without consent of successors. In case of minor you might have to take permission from the court. And if property disposed without consent can be reclaimed.

इस प्रकार अब, जबकि यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति थी, तो उसका विभाजन होने के पूर्व, उसका बेचान नहीं किया जा सकता और किसी विशेष (Particular) खसरा नम्बर का बेचान तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि संयुक्त खाते की पैतृक सम्पत्ति में प्रत्येक हिस्सेदार का उस विवादित आराजी के प्रत्येक खसरा नम्बर पर समान (बराबर) अधिकार होता है, चाहे उक्त पैतृक आराजी पर उसका कब्जा हो या नहीं हो। प्रस्तुत प्रकरण की 39 बीघा 08 बिस्वा विवादित आराजी जमाबन्दी संवत 2016–2024 में मूल खातेदार स्व. रामनारायण के खाते दर्ज थी तथा रामनारायण की मृत्यु उपरान्त उनके पाँचों वारिसान के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त आराजी पैतृक आराजी होने से स्व. रामनारायण के प्रत्येक हिस्सेदार का 1/5, 1/5 हिस्सा बनता है। इस प्रकार कुल आराजी 39 बीघा 08 बिस्वा में से प्रत्येक वारिस (हिस्सेदार) का हिस्सा (लगभग 7 बीघा 18 बिस्वा) होता है। स्व. रामनारायण का फौती इन्तकाल उनके पांच वारिसान माधवराव, जगन्नाथ, मोहनलाल, खेमराज एवं गुलाब बाई बेवा एवं कौशल्या पुत्री स्व. गोपाल प्रसाद के नाम खोला गया जिनमें से जगन्नाथ, मोहनलाल एवं खेमराज ने 11 बीघा और इससे अधिक आराजी का विक्रय कर दिया जबकि उक्त पैतृक आराजी में से उनको अपने हिस्से की 7 बीघा 18 बिस्वा आराजी का ही बेचान करने का अधिकार था। पैतृक आराजी संयुक्त खाते की आराजी होती है, जिसका कोई भी सहखातेदार अन्य सहखातेदार की सहमति के बिना बेचान नहीं कर सकता है। इस प्रकार किये गये बेचान का क्रेता भी अजनबी क्रेता होता है जिसे विभाजन के बिना कोई विशेष खसरा नम्बर आवंटित नहीं किया जा सकता है. (आर.आर.टी–2004 (1) पेज 607–611), जबकि सहखातेदारों में से जगन्नाथ ने खसरा नम्बर 24 की 11 बीघा 12

बिरया, मोहनलाल ने खसरा नम्बर 28 के पूर्व की तरफ की 11 बीघा तथा खेमराज ने खसरा नम्बर 28 के पश्चिम की तरफ की 11 बीघा आराजी का बेचान कर दिया। उक्त बेचान, बिना विभाजन के किये जाने से प्रभावशून्य है। अतः विवादित आराजी के सहखातेदारान द्वारा बिना विधिक विभाजन कराये, विशेष खसरा नम्बर की आराजी का अपने हिस्से से अधिक बेचान किये जाने को यह तनकी वादिनी के पक्ष में तय की जाती है।

(c) *आया वादिनी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के लिये खातेदार द्वारा ही अपना दावा पेश किया जा सकता है अथवा घोषणा के बाद में खातेदार घोषित होने पर यह दावा पेश किया जाता है। प्रकरण में तय की गई तनकी क्रम a(1) व b(2) वादिनी के पक्ष में तय हो जाने से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादिनी गोपाल प्रसाद की पुत्री व रामनारायण जी की पौत्री थी तथा विवादित आराजी में वादिनी का 1/5 हिस्सा निहित था। इस प्रकार वादिनी अपने हिस्से की आराजी की खातेदार घोषित होने तथा पृथक खाते दर्ज करवा कर बंटवारा कराने की अधिकारी है। विवादित पैतृक आराजी के सहखातेदारान द्वारा बिना किसी विधिक बंटवारे के अपने हिस्से से अधिक आराजी के खसरों विशेष का बेचान कर दिये जाने से वादिनी के लिये अपने हिस्से की आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादिनी के विवादित आराजी में निहित हिस्से के बावजूद भी अन्य सहखातेदारान द्वारा अपने हिस्से से अधिक का बेचान कर दिया है इससे वादिनी के हित प्रभावित हुये है तथा वादिनी को वास्तविक क्षति हुई है। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि थी, जो विभाजन से सभी सहखातेदारों के खाते दर्ज होनी थी। संयुक्त खाते की भूमि के मामले में विधिक विभाजन नहीं हो जाने तक, विवादित आराजी के प्रत्येक खसरा नम्बर पर प्रत्येक सहखातेदार का समान कब्जा होता है। अतः अब, जबकि वादिनी, विवादित आराजी में अपने 1/5 हिस्से की खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है तो वह अपने हिस्से की आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी तो स्वतः ही हो जाती है। अतः यह तनकी वादिनी के पक्ष में तय की जाती है।

(d) *आया वादिनी गोपाल की पुत्री नहीं है इसलिये दावा चलाने व बंटवारा कराने की अधिकारी नहीं है।*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था।

- वादिनी द्वारा प्रकरण की विवादित आराजी को अपने दादाजी स्व. रामनारायण जी की आराजी होने के आधार पर विवादित आराजी में अपने माता-पिता के 1/5 हिस्से का खातेदार होने की घोषणा, आराजी का विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया गया है।
- उक्त दावे का, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादिनी पूर्व खातेदार श्री राम नारायण जी की पौत्री नहीं है। गोपाल प्रसाद वादिनी के पिता नहीं थे। **राम नारायण जी के पांच पुत्र माधवलाल, खेमराज, जगन्नाथ, मोहनलाल व गोपाल प्रसाद होना स्वीकार नहीं है।** वादिनी गोपाल प्रसाद की पुत्री एवं वारिस होना स्वीकार नहीं है। गोपाल प्रसाद की वारिस उसकी पत्नी श्रीमती गुलाब बाई थी जिसका स्वर्गवास हो चुका है। नामान्तरण संख्या 76 अवैध रूप से तस्दीक किया गया था। वादिनी द्वारा कब्जा वापस प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है। वादिनी के तथाकथित हक हकूक समाप्त हो चुके है। वादिनी का उपरोक्त भूमि में कोई हक अधिकार विद्यमान नहीं है। गोपाल प्रसाद के स्वर्गवास के बाद श्रीमती गुलाब बाई का नाम राजस्व अभिलेख जनाबंदी में दर्ज हुआ था। वादिनी हक घोषणा खातेदारी करवाने की तदनुसार दुरूस्ती इंद्राज एवं उपरोक्त भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारिणी नहीं है। श्रीमती गुलाब बाई का लगभग 10 वर्ष पूर्व लाऔलाद स्वर्गवास हो चुका है।
- वादिनी द्वारा अपने दावे के मद नम्बर-2 में स्व. रामनारायण जी की मृत्यु उपरान्त खोले गये नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 18.03.1970 का भी उल्लेख किया है। इसके प्रमाण स्वरूप वादिनी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 76 की नकल प्रदर्श-15 पेश की गई है जिसके कॉलम 16 में अंकित है कि दर, जगन्नाथ एवं आदेश दिनांक 13.12.1966 खातेदार रामनारायण नाथ की मृत्यु1 हो गई है उसके पाँच सुलभी लडके माधवलाल, खेमराज, जगन्नाथ, गोपाल प्रसाद व मोहनलाल है जिनमें से गोपाल प्रसाद मर गया है

उसकी बेवा मु. गुलाब बाई है, लड़का नहीं है, सिर्फ एक लड़की कौशल्या, उम्र 3 साल है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा के दिनांक 18.03.1970 से स्व. रामनारायण के पाँचों वारिसान का नाम दर्ज खाता होने के आदेश हुये।

- इसी नामान्तरकरण संख्या 76 की पंजिका के कॉलम–11 में भी मु. गुलाब बाई बेवा गोपाल प्रसाद व कौशल्या पुत्री गोपाल प्रसाद, कौशल्या नाबालिग वली गुलाब बाई माता अंकित है।
- प्रकरण में तय की गई तनकी क्रम (1) के अनुसार तथा जमाबन्दी संवत 2016–2024 के खाता संख्या 19 के खोले गये नामान्तरकरण के अनुसार वादिनी स्व. रामनारायण के पुत्र स्व. गोपाल प्रसाद की पुत्री अंकित है। इस प्रकार वादिनी गोपाल प्रसाद की पुत्री है तथा अपने दादा की पैतृक आराजी के 1/5 हिस्से की खातेदार घोषित होने तथा आराजी का विभाजन करवाकर अपने हिस्से को अलग करवाने की अधिकारिणी है।

अतः यह तनकी वादिनी के पक्ष में तय की जाती है।

(e) *आया दावा मियाद बाहर है।*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादिनी कौशल्या बाई द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53, 92(ए), 188 के अन्तर्गत बाबत अपने माता–पिता के हिस्से की आराजी पर खातेदारी की घोषणा, राजस्व अभिलेख में समय–समय पर हुये इन्द्राज की दुरुस्ती करते हुये आराजी का विभाजन कर एवं वादिनी की हिस्सा आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिये उक्त वाद पेश किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207, 214, 215, और 217 के अन्तर्गत अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार धारा 88, 89 और 53 के लिये दावा पेश करने की समय सीमा (मियाद) "कुछ नहीं" है अर्थात अधिनियम की धारा 53, 88, 89 सम्बन्धी अनुतोष के लिये कभी भी दावा पेश किया जा सकता है। वादिनी द्वारा अधिनियम की उक्त धाराओं (53, 88, 89) के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 92(ए), 188 के अन्तर्गत भी वाद पेश किया गया है तथा धारा 92(ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश करने के लिये 'वाद कारण उत्पन्न होने से' तीन वर्ष की अवधि निर्धारित है। वादिनी द्वारा पेश किया गया प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 03.02.2007 को दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त वाद के चरण क्रम–15 के अनुसार वादिनी द्वारा वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक 03.01.2007 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा, वाद कारण उत्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर अपना उक्त दावा पेश कर दिया है जो अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित मियाद में है। अतः वादिनी का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची की मियाद के बाहर नहीं होने से यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।

(f) *सहायता ?* प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी तथा कन्सोलिडेट वाद के वादीगण, जो इस वाद में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 है, के द्वारा अपने दादा (स्व. रामनारायण) के नाम दर्ज रही आराजी में अपने 1/5 हिस्से की खातेदारी की घोषणा तथा अपने अपने पृथक खाते दर्ज करवाने की सहायता चाही गई है वहीं प्रतिवादी क्रम 11 एवं 15–16 की ओर से पेश किये गये जवाब दावा के अनुसार उनके द्वारा क्रय की गई आराजी वैध तरीके से (जर्ये पंजीकृत दस्तावेज) क्रय किये जाने के कारण वादिनी तथा कन्सोलिडेट वाद के वादी क्रम 1 लगायत 6 का वाद खारिज करने की सहायता चाही गई है।

(g) *न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार नहीं है।*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी क्रम–15 पर था। प्रतिवादी की ओर से माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा में धारा 235 आर.टी.ए. के अन्तर्गत उक्त पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) को सुनवाई के लिये आदेशित किया गया तथा श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के कार्यकाल उपरान्त इसी न्यायालय में अग्रिम सुनवाई किये जाने हेतु आदेशित किया गया। प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53, 92ए, 188 के अन्तर्गत वादिनी द्वारा खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिये पेश किया गया है। उक्त धाराओं में दिये जाने वाले अनुतोष के लिये वाद को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। अधिनियम की धारा 207 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि "तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार के सभी वाद की सुनवाई एवं उनका निर्णय इसमें

न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा।" (माननीय न्यायालय के निर्णय 'रामप्रताप बनाम प्रेमप्रकाश, 1990 आर.आर.डी. 41' के अनुसार यह ज्ञात करने के लिये कि अमुक वाद सिविल न्यायालय के श्रवण योग्य है अथवा राजस्व न्यायालय के, वाद–पत्र के अभिवचनों को ध्यान में रख यह ज्ञात करना आवश्यक है कि वाद का वास्तविक सार व उद्देश्य क्या है व वादी क्या अनुतोष चाहता है। वादी का मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा प्राप्त करना है व विक्रय पत्रों को शून्य घोषित कराने का अनुतोष केवल मात्र अनुषंगिक (ancillary or accessory) है। अतः ऐसा वाद स्पष्ट रूप से अन्तर्गत धारा 207 अधिनियम, 1955 राजस्व न्यायालय के श्रवण योग्य है।) प्रस्तुत प्रकरण में सहखातेदारान द्वारा किये गये बेचान के विक्रय पत्रों को निरस्त किये जाने की प्रार्थना नहीं की गई है बल्कि सहखातेदारान द्वारा विवादित पैतृक आराजी में अपने 1/5 हिस्से तक के बेचान को वैध मानते हुये अपनी हिस्सा आराजी पर खातेदारी प्रदान कर, आराजी का विभाजन किये जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के आदेश दिनांक 29.01.2020 से उक्त प्रकरण इस न्यायालय को हस्तान्तरित होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53, 92ए, 188 का प्रकरण होने से यह वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। अधिनियम की तृतीय अनुसूची के कॉलम–7 के अनुसार उपरोक्त धाराओं में निर्णय करने के लिये सक्षम न्यायालय पदाधिकारी "सहायक कलक्टर" है। अतः यह उनकी प्रतिवादी क्रम–15 के विरूद्ध तय की जाती है।

10- उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर वादिनी कौशल्या एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के दादा (Grand father) के संयुक्त खर्चे की पुश्तैनी आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 22 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 70/300 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 39 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित थी तथा सेटलमेन्ट के बाद उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 21 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 22 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 29 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 6.50 हैक्टर कायम किये गये। जमाबन्दी संवत 2016–2024 के अनुसार खाता संख्या 19 की उक्त आराजी के मूल खातेदार स्व. रामनारायण का फौती इंतकाल संख्या 76 माधवराव, जगन्नाथ, मोहनलाल, खेमराज तथा स्व. गुलाब बाई बेवा व कौशल्या ना.बा. पुत्री स्व गोपाल प्रसाद के नाम खोला गया। इस प्रकार स्व. रामनारायण जी के प्रत्येक वारिसान के लिये यह उनकी पैतृक आराजी है जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का का हिस्सा लगभग 8 बीघा (1.28) हैक्टर होता है। चूंकि उक्त आराजी पैतृक आराजी है तो इसका विधिवत बंटवारा कराये बिना इसके किसी Particular खसरा नम्बर का न तो विक्रय नहीं किया जा सकता है और ना ही कब्जा दिया जा सकता है फिर भी सहखातेदार जगन्नाथ ने आराजी खसरा नम्बर 24 की 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि का, सहखातेदार खेमराज उर्फ किशनलाल ने आराजी खसरा नम्बर 28 की 22 बीघा मे से 11 बीघा भूमि पश्चिम दिशा की तथा सहखातेदार मोहनलाल ने भी आराजी खसरा नम्बर 28 की 22 बीघा मे से 11 बीघा भूमि पूर्व दिशा की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अन्य सहखातेदारान की सहमति के बिना ही विक्रय कर दी जबकि पैतृक आराजी के किसी विशेष खसरा नम्बर का कोई भी सहखातेदार बेचान नहीं कर सकता है और यदि बेचान करता भी है तो केवल अपने हिस्से की सीमा तक ही बेचान कर सकता है जबकि उपरोक्त तीनों सहखातेदारान जगन्नाथ, मोहनलाल व खेमराज ने अपने 7 बीघा 18 बिस्वा के हिस्से से अधिक का बेचान कर दिया है। इस प्रकार का बेचान प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है। प्रस्तुत प्रकरण के तीनों सहखातेदार जगन्नाथ, मोहनलाल व खेमराज को अपने अपने हिस्से की 8 बीघा बिस्वा आराजी का बेचान करने के अधिकार थे। अतः उनके द्वारा किये गये 11 बीघा (1.84, हैक्टर) भूमि के बेचान में से 8 बीघा (1.28 हैक्टर) के बेचान को वैध मानते हुये शेष आराजी लगभग 3 बीघा (0.48 हैक्टर) के बेचान को प्रभावशून्य घोषित किया जाता है। सहखातेदार जगन्नाथ द्वारा गत खसरा नम्बर 24 की 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया। इस आराजी के नये खसरा नम्बर 29 रकबा 1.84 हैक्टर कायम किये गये। यहाँ विचारणीय बिन्दु यह है कि उक्त आराजी में सहखातेदार जगन्नाथ को 1.28 हैक्टर आराजी के बेचान का ही अधिकार था। इसी प्रकार सहखातेदार मोहनलाल तथा खेमराज द्वारा गत खसरा नम्बर 28 की 22 बीघा में से 11 – 11 बीघा भूमि का बेचान किया गया। इस आराजी के

नये खसरा नम्बर 21 व 22 कायम किये गये जो हरदेव, सुखपाल, सीताराम के खाते दर्ज रिकार्ड है। इन सहखातेदारों को भी उक्त आराजी में से 1.28 – 1.28 हैक्टर आराजी के बेचान का ही अधिकार था। चूंकि उपरोक्त सहखातेदारान द्वारा अपने अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान कर दिया है अर्थात वे अपना अपना हिस्सा प्राप्त कर चुके है फलस्वरूप राजस्व अभिलेख में जो उनका नाम चला आ रहा है, वह त्रुटिपूर्ण है, जिसे राजस्व अभिलेख से हटाया जाना भी आवश्यक है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादिनी तथा कन्सोलिडेट वाद स्वीकार कर ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 88 रकबा 0.12 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 90 रकबा 0.84 हैक्टर में से जगन्नाथ पुत्र रामनारायण, मोहनलाल पुत्र रामनारायण, खेमराज पुत्र रामनारायण तथा गुलाब बाई पत्नी स्व. गोपालप्रसाद का नाम हटाये जाने तथा कन्सोलिडेट वाद के वादीगण जितेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, रेखारानी, ताराशनी, अनीता कुमारी, रामदयालबाई को खसरा नम्बर 88 व 90 कुल रकबा 0.96 हैक्टर का खातेदार घोषित करने के आदेश प्रदान किये जाते है। इसी प्रकार सहखातेदार द्वारा अधिक बेचान की गई आराजी खसरा नम्बर 21/497 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 551/21 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 22/2 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 22/4 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 22/6 रकबा 0.10 हैक्टर, तथा खसरा नम्बर 29 रकबा 1.84 हैक्टर में से 0.55 हैक्टर कुल किता 6 रकबा 1.28 हैक्टर का वादिनी कौशल्या बाई पुत्री स्व. गोपाल प्रसाद (माता गुलाब बाई) निवासिनी सकतपुरा, खटीकों के मन्दिर के पास, सकतपुरा, कोटा को खातेदार घोषित किया जाकर वादिनी कौशल्या बाई के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। वादिनी तथा कन्सोलिडेट वाद के वादीगण (प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6) के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादिनी तथा कन्सोलिडेट वाद के वादीगण (प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6) की हिस्सा आराजी पर किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

10- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया एवं टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 27 जुलाई, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.) कोटा
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – बालकृष्ण तिवारी, R.A.S.

बउनवान :–

कौशल्या बाई पुत्री गोपाल प्रसाद (माता गुलाब बाई) पौत्री रामनारायण, निवासिनी सकतपुरा, खटीकों के मन्दिर के पास, खेमराज योगी के मकान में सकतपुरा, कोटा (वादिनी)

बनाम

1. जितेन्द्र कुमार आत्मज स्व. रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द नाथ
2. नरेन्द्र कुमार आत्मज स्व. रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द नाथ
3. श्रीमति रेखारानी पुत्री रविन्द्र कुमार पत्नि टीकमचन्द योगी
4. श्रीमति तारारानी पुत्री रविन्द्र कुमार पत्नि ओम प्रकाश योगी
5. श्रीमति अनिता पुत्र स्व. रविन्द्र कुमार पत्नि संजय योगी
6. श्रीमति रामदयाल बाई पत्नि स्व. रविन्द्र कुमार
7. खेमराज (मृतक) जर्ये कायम मुकामान

7/1. श्रीमति कैलाश बाई पत्नि स्व खेमराज नाथ

7/2. श्रीमति हेमलता पुत्री स्व खेमराज नाथ पत्नि राजेन्द्र योगी

7/3. श्रीमति दुर्गेश पुत्री स्व खेमराज नाथ पत्नि बाबू लाल

8. जगन्नाथ (मृतक) जर्ये कायम मुकामान

8/1. ओम प्रकाश पुत्र स्व. जगन्नाथ

8/2. हेमराज योगी पुत्र स्व. जगन्नाथ

8/3. श्रीमति पार्वती बाई पुत्री स्व. जगन्नाथ पत्नि हीरा लाल योगी

8/4. श्रीमति शान्ति बाई पत्नि स्व. जगन्नाथ

9. मोहन लाल पुत्र स्व. रामनारायण

10. लाली बाई (मृतक) कायम मुकामान

10/1. कैसर बाई पुत्री लाली बाई पत्नि स्व. पन्ना लाल

10/2. लोकेश पुत्र स्व. रामनारायण पौत्र लाली बाई पत्नि स्व. पन्नालाल

10/3. राधेश्याम पुत्र स्व. रामनारायण पौत्र लाली बाई पत्नि स्व. पन्नालाल

10/4. मुकेश बाई पुत्री स्व. रामनारायण पौत्री लाली बाई पत्नि स्व. पन्नालाल

10/5. भूली बाई पुत्री स्व. रामनारायण पौत्र लाली बाई

10/6. रुकमणी बाई पुत्री स्व. रामनारायण पौत्री लाली बाई पत्नि स्व. पन्नालाल

10/7. भंवरी बाई पुत्री स्व. रामनारायण पौत्री लाली बाई

10/8. सुनीता बाई पुत्री स्व. रामनारायण पौत्री लाली बाई

10/9. कंवरी बाई बेवा स्व. रामनारायण पुत्र वधु स्व. लाली बाई

11. नवल सोपनीवाल पुत्र गिरिराज तोषनीवाल
12. गणपत लाल पुत्र पन्नालाल
13. नाथी बाई पत्नी पन्नालाल
14. हरदेव पुत्र छीगा जी
15. श्रवणी बाई (मृतक) जर्ये कायम मुकामान

15/1. सीताराम पुत्र स्व हरदेव

15/2. सुखपाल पुत्र स्व. हरदेव

16. स्टेट ऑफ राजस्थान (प्रतिवादीगण)

कंसोलिडेट वाद – *प्रकरण संख्या 199/96, बउनवान जितेन्द्र कुमार बनाम खेमराज*

1. जितेन्द्र कुमार आत्मज स्व. रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द्र नाथ
2. नरेन्द्र कुमार आत्मज स्व. रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द्र
   जाति नाथ, निवासीगण न्यू त्रिपाठी भवन, कुम्हारों का मोहल्ला, छावनी, कोटा
3. श्रीमती रेखा रानी पुत्री स्व. रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द्र पत्नि टीकमचन्द योगी, जाति नाथ, निवासिनी ग्राम मुण्डला, तहसील अटरू, जिला बारां
4. श्रीमती तारा रानी पुत्री स्व. रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द्र पत्नि ओम प्रकाश योगी, जाति नाथ, निवासिनी ग्राम बडोदिया, तहसील किशनगंज, जिला बारां
5. श्रीमति अनिता पुत्र स्व. रविन्द्र कुमार पत्नि संजय योगी, जाति नाथ, निवासिनी ग्राम बंजारा कॉलोनी, केशवपुरा चौराहा, कोटा
6. श्रीमति रामदयाल बाई पत्नि स्व. रविन्द्र कुमार, जाति नाथ, निवासिनी न्यू त्रिपाठी भवन, कुम्हारों का मोहल्ला, छावनी, कोटा

बनाम

1. स्व. खेमराज उर्फ किशनलाल आत्मज स्व. रामनारायण (मृतक जर्ये कायम मुकाम) –

1/1. श्रीमति कैलाश बाई पत्नि स्व खेमराज नाथ

1/2 श्रीमति हेमलता पुत्री स्व खेमराज नाथ पत्नि राजेन्द्र योगी

1/3 श्रीमति दुर्गेश पुत्री स्व खेमराज नाथ पत्नि बाबू लाल

जाति नाथ, निवासीगण केसरीसिंह धर्मशाला के पास, कुम्हारों का मोहल्ला, छावनी, कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

2. स्व. जगन्नाथ आत्मज स्व. रामनारायण (मृतक जर्ये कायम मुकाम) –
2/1. ओम प्रकाश पुत्र स्व. जगन्नाथ
2/2. हेमराज योगी पुत्र स्व. जगन्नाथ
जाति नाथ, निवासीगण मोती महाराज मन्दिर के पास, छावनी, कोटा
2/3. श्रीमति पार्वती बाई पुत्री स्व. जगन्नाथ पत्नि हीरा लाल योगी, जाति नाथ, निवासिनी ग्राम गादेगाल वाया तालेडा, जिला बून्दी
2/4. श्रीमति शान्ति बाई पत्नि स्व. जगन्नाथ, जाति नाथ, निवासिनी मोती महाराज मन्दिर के पास, छावनी, कोटा
3. मोहन लाल पुत्र स्व. रामनारायण, जाति नाथ, निवासी मोती महाराज मन्दिर के पास, छावनी, कोटा
4. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. कौशल्या बाई पुत्री गोपाल प्रसाद, जाति नाथ, निवासी खटीकों के मन्दिर के पास, सकतपुरा, कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88-89-53-92(A)-188 RTA
मुकदमा नम्बर : 16 / 20 GCMS id : 2020 / 00021
निर्णय दिनांक : 27-07-2021

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय, श्री संजय शर्मा एवं श्री भगवती वल्लभ शर्मा उपस्थिति में प्रकरण की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 27–07–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर वाद वादिनी तथा कन्सोलिडेट वाद स्वीकार कर ग्राम बोरखण्डी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 88 रकबा 0.12 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 90 रकबा 0.84 हैक्टर में से जगन्नाथ पुत्र रामनारायण, मोहनलाल पुत्र रामनारायण, छेनराज पुत्र रामनारायण तथा गुलाब बाई पत्नी स्व. गोपालप्रसाद का नाम हटाये जाने तथा कन्सोलिडेट वाद के वादीगण जितेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, रेखारानी, ताराराानी, अनीता कुमारी, रामदयालबाई को खसरा नम्बर 88 व 90 कुल रकबा 0.96 हैक्टर का खातेदार घोषित करने के आदेश प्रदान किये जाते है। इसी प्रकार सहखातेदार द्वारा अधिक बेचान की गई आराजी खसरा नम्बर 21/497 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 551/21 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 22/2 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 22/4 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 22/6 रकबा 0.10 हैक्टर, तथा खसरा नम्बर 29 रकबा 1.84 हैक्टर में से 0.55 हैक्टर कुल किता 6 रकबा 1.28 हैक्टर का वादिनी कौशल्या बाई पुत्री स्व. गोपाल प्रसाद (माता गुलाब बाई) निवासिनी सकतपुरा, खटीकों के मन्दिर के पास, सकतपुरा, कोटा को खातेदार घोषित किया जाकर वादिनी कौशल्या बाई के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। वादिनी तथा कन्सोलिडेट वाद के वादीगण (प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6) के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादिनी तथा कन्सोलिडेट वाद के वादीगण (प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6) की हिस्सा आराजी पर किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज तारीख 27 जुलाई, 2021 को लिखवाई एवं टंकित करवाई जाकर न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलेक्टर (मु.) कोटा
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शों के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड़			जोड़	

9